वार्षिक प्रतिवेदन
2016-17

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

वार्षिक प्रतिवेदन

2016—17

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय **पृष्ठ संख्या**

अध्याय - I **1 - 3**
पुनरावलोकन

अध्याय - II **5- 12**
संगठनात्मक ढांचा और कार्य

अध्याय - III **13 - 19**
कंपनी अधिनियम और इसका प्रशासन

अध्याय - IV **21 - 22**
सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

अध्याय - V **23 - 26**
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और अन्य कानून

अध्याय - VI **27 - 38**
परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

अनुलग्नक (I - V) **39 - 54**

अध्याय – I
पुनरावलोकन

1.1. इस मंत्रालय के अधिदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु व्यापक स्वरूप के कानूनों का प्रशासन शामिल है जो कि इस प्रकार हैं:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956

(iii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008

(iv) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 जिसे प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित किया गया

(v) दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016

(vi) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

(vii) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

(viii) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

(ix) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (केन्द्र शासित क्षेत्रों में)

(x) कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

कार्य

1.2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिसूचित प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 के उन प्रावधानों का प्रशासन जो अभी भी लागू हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं को अधिसूचित करना।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा शासित विभिन्न अधिनियमों के अधीन नियम और विनियमन तैयार करना।

(iv) भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के साथ समाभिरूपन।

(v) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम का कार्यान्वयन।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ई–गवर्नेंस का कार्यान्वयन।

(vii) कारपोरेट कार्य प्रणाली में अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रणाली स्थापित करना।

(viii) निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

(ix) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से गंभीर कपट का पता लगाना।

(x) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) का प्रबंधन।

(xi) संबद्ध संगठनों जैसे आईआईसीए, एसएफआईओ, सीसीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, आईबीबीआई को प्रशासनिक सहायता देना।

महत्वपूर्ण नीति विकास

कंपनी अधिनियम, 2013

1.3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 दिनांक 30 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया जिसमें बेहतर अनुपालन के लिए अधिक पारदर्शिता और अधिक प्रकटीकरण

अनिवार्य करते हुए कारपोरेट क्षेत्र को स्व–नियमन का अवसर दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की 470 धाराएं थीं। इनमें से रूग्ण कंपनियों के पुनर्जीवन और पुनर्वास से संबंधित अध्याय–XIX (धारा 253 से 269) में निहित 39 धाराओं और समापन से संबंधित अध्याय–XX (धारा 289, 304–323 और 325) के भागों का दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 द्वारा निरसन कर दिया गया है। 31 दिसंबर, 2016 तक शेष 431 धाराओं में से केवल 4 धाराएं अधिसूचित करनी बाकी हैं। ये धाराएं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील अधिकरण (एनएफआरएए) (धारा 132), क्रास बॉर्डर विलयन (धारा 234), पंजीकृत मूल्यांकन (धारा 247) और निरसन तथा छूट (धारा 465) से संबंधित हैं।

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016

1.3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 में मई, 2015 में किए गए संशोधनों के फलस्वरूप आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। कंपनी विधि समिति, 2015 (सीएलसी–2015), जिसने अपनी रिपोर्ट 01.02.2016 को प्रस्तुत की, द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर और सीएलसी रिपोर्ट को जनता द्वारा देखे जाने के दौरान प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर इस मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं और लोक सभा में 16 मार्च, 2016 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया है। कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने जांच के बाद 07 दिसंबर, 2016 को संसद के दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी, 2016)

1.3.3 दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) शासकीय राजपत्र में 28 मई, 2016 को प्रकाशित की गई। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 संशोधित किए गए और 01 अगस्त, 2016 को अधिसूचित किए गए जिनमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस संहिता के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया। यह संहिता कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तिगत फर्मों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों का समयबद्ध रूप से समेकन और उनमें संशोधन करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

स्थापित किए गए नए संस्थान

भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

1.4.1 भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की स्थापना दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन दिनांक 01.10.2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा की गई थी। बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति दिनांक 01.10.2016 की अधिसूचना द्वारा की गई। इस बोर्ड के चार पदेन सदस्यों की नियुक्ति भी इस मंत्रालय के दिनांक 01.10.2016 के आदेश द्वारा की गई है। आईबीबीआई के अधिदेश में इस संहिता के अधीन शामिल अन्य शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के साथ–साथ दिवाला व्यवसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और इंफॉरमेशन यूटिलिटी का नियमन करना शामिल है।

विशेष न्यायालय

1.4.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 के अधीन दिनांक 18.05.2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1976(अ) के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने वर्तमान 19 सत्र/अपर सत्र न्यायालयों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 435 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया है। ये न्यायालय जम्मु और कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, तमिलनाडु (कोयंबटुर), मणिपुर राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्रों में स्थित हैं।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)

1.4.3 राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का गठन दिनांक

01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1932(अ) द्वारा धारा 408 के अधीन किया गया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसकी 11 न्यायपीठें स्थापित की हैं जिनमें से नई दिल्ली में प्रधान न्यायपीठ और नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में एक–एक क्षेत्रीय न्यायपीठ है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी)

1.4.4 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का गठन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों से उत्पन्न होने वाली अपीलों से निपटने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के अधीन 01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 1933(अ) द्वारा किया गया है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण

1.4.5 निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(5) के अधीन दिनांक 05 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 854(अ) द्वारा की गई है जिसका उद्देश्य पात्र पक्षकारों को अप्रदत्त राशि लौटाना और निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देना है।

*****

अध्याय – II
संगठनात्मक ढांचा और कार्य

प्रशासनिक ढांचा

2.1. मंत्रालय का तीन स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है जिसमें नई दिल्ली स्थित मुख्यालय, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली और शिलांग में सात क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय; 15 कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी); मानेसर स्थित एक केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी); 9 कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालय और 14 शासकीय समापक कार्यालय हैं। मानेसर (गुरुग्राम) स्थित केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना 26 जनवरी, 2016 को की गई है। उपर्युक्त कार्यालयों/स्थापनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पैरा में दिया गया है:

क. मुख्यालय

2.2.1 मुख्यालय के प्रशासनिक ढांचे में एक सचिव, एक विशेष सचिव/अपर सचिव, एक महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, चार संयुक्त सचिव, एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, एक लागत सलाहकार, दो निदेशक निरीक्षण एवं जांच और प्रशासनिक, विधि, लेखांकन, आर्थिक और सांख्यिकी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले अन्य अधिकारी हैं। इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक–I** पर दी गई है।

ख. क्षेत्रीय निदेशक

2.2.2 क्षेत्रीय निदेशक अपने–अपने क्षेत्राधिकार में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। इन कार्यालयों का मुख्य कार्य तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों को परामर्श तथा दिशानिर्देश देना, सरकार को विशेष रूप से कंपनियों के कार्यकलापों और परिचालनों के संबंध में सूचित करना तथा अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कंपनी अधिनियम के प्रशासन संबंधी मामलों में संपर्क के रूप में कार्य करना है। क्षेत्रीय निदेशकों को कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन सीधे ही कुछ कार्य करने और उनका निपटान करने की शक्तियां भी दी गई हैं।

ग. केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी)

2.2.3 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकारी प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग (जीपीआर) में पहल–प्रयास करते हुए "नाम उपलब्धता" (आईएनसी–01) और "निगमन" (आईएनसी–02.07.29) ई–प्ररूपों पर कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना की है। जीपीआर प्रक्रिया इस मंत्रालय के कारपोरेट को "व्यापार करने की आसानी" में मदद करने के उद्देश्य के अनुसरण में है और इससे निगमन से संबंधित आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई होने, नियमों के विनियोग में एकरूपता आने और पक्षपात दूर होने की आशा है। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए गहन मॉनीटरिंग की जा रही है जिसका उद्देश्य उक्त ई–प्ररूपों की कार्रवाई एक से दो कार्यदिवसों में पूरी करना है।

घ. कंपनी रजिस्ट्रार

2.2.4 कंपनी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति इस अधिनियम की धारा 396 के अधीन की जाती है। रजिस्ट्रार, सीआरसी को छोड़कर अन्य सभी कंपनी रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गए नियमों, जो निगमन के बाद प्रासंगिक होंगे, के लिए रजिस्ट्रार, सीआरसी द्वारा निगमित कंपनियों सहित सभी कंपनियों पर अधिकार क्षेत्र रखना जारी रखेंगे। केन्द्र सरकार संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है।

ड. शासकीय समापक

2.2.5 शासकीय समापक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 359 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के

सदृश) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं और ये विभिन्न क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समापन से संबंधित धारा तथा अन्य प्रावधान 15.12.2016 को प्रवृत्त किए गए। संबंधित क्षेत्रीय निदेशक केन्द्र सरकार की ओर से इनके कार्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं। शासकीय समापक कंपनियों के समापन मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्देशों और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं।

2.2.6 दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कारपोरेट दिवाला के प्रावधानों का अधिनियमन और इसके प्रवृत्त होने के साथ तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में समापन से संबंधित कुछ प्रावधानों के पश्चातवर्ती संशोधन और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समापन से संबंधित लंबित कार्यवाही का उच्च न्यायालय से अंतरण करने के नियम अधिसूचित हो जाने के परिणामस्वरूप शासकीय समापकों को 01.12.2016 से 'ऋण का भुगतान करने की असमर्थता' आधार पर किसी कंपनी के समापन के लिए नए मामले या उच्च न्यायालयों से एनसीएलटी को अंतरित लंबित कार्यवाही नहीं सौंपी जाएगी। इस प्रकार के मामलों का निपटान आईबीसी, 2016 की धारा 7, 8 या 9 के अधीन दिवाला समाधान से किया जाएगा और यदि दिवाला समाधान प्रक्रिया असफल रहती है तो समापन कार्रवाई एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित दिवाला व्यावसायिकों द्वारा की जाएगी। शासकीय समापक निम्नलिखित कार्य करना जारी रखेंगे:

(i) सभी मामले जिनमें समापन आदेश उच्च न्यायालयों द्वारा पहले ही पारित कर दिए गए हैं।

(ii) जहां लंबित कार्यवाही उच्च न्यायालयों के पास जारी रखी गई है।

(iii) जहां 'ऋण का भुगतान करने की अक्षमता को छोड़कर' (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के खंड (ख) और (च) के अधीन दायर) आधार पर समापन की एनसीएलटी को अंतरित की गई कार्यवाही यदि इसे एनसीएलटी द्वारा शासकीय समापकों को सौंपा गया हो।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 के अधीन नई कार्यवाही। यदि समापन आदेश पारित होने के बाद एनसीएलटी इसे शासकीय समापकों को सौपें।

2.2.7 कंपनी अधिनियम, 2013 में कतिपय परिस्थितियों में किसी कंपनी के समापन के लिए 'संक्षिप्त प्रक्रिया' का प्रावधान है। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार शासकीय समापक को कंपनी के समापक के रूप में नियुक्त करेगी और समापन की कार्रवाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समापन से संबंधित अध्याय–XX के भाग–I के अधीन चलाई जाएगी।

2.2.8 शासकीय समापकों के कर्तव्य और अधिकार मुख्य रूप से शासकीय समापक द्वारा कब्जा ली गई कंपनी की चल और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री; लेनदारों/श्रमिकों से दावे मंगाना; दावों का अधिनिर्णय और उनकी सूची का निपटान; लेनदारों/श्रमिकों को लाभांश द्वारा भुगतान तथा अंशदाताओं (अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसे समापन के मामले में कंपनी की आस्तियों में अंशदान देना है) की सूची का निपटानय कंपनी को देय ऋण राशि की वसूली के लिए देनदारों के विरूद्ध दावे फाइल करना; कंपनी के पूर्व निदेशकों के विरूद्ध उनकी कार्यों या त्रुटियों और विश्वास भंग के लिए अपराधिक शिकायतें और कदाचार कार्यवाही चलाना; जहां कंपनी की आस्तियां उसकी देयता से अधिक हैं, वहां पूंजी के लाभ का भुगतान करना तथा अंततः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 302 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 के सदृश) के अधीन कंपनी का विघटन करना हैं।

मुख्यालय में प्रभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ

2.3.1 कंपनी अधिनियम और इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित अन्य अधिनियमों के प्रशासन/नियमन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में विभिन्न प्रभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ हैं। कंपनी अधिनियम से संबंधित मामलों के प्रशासनिक ढांचे का ब्यौरा नीचे दिया गया है। कंपनी अधिनियम की कार्यप्रणाली और प्रशासन संबंधी मामलों का विवरण **अध्याय–III** में दिया गया है और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम तथा प्रतिस्पर्धा अधिनियम से संबंधित विवरण क्रमशः **अध्याय–IV** और **V** में दिया गया है।

2.3.2 कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का प्रशासन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, संबंधित संयुक्त सचिवों, आर्थिक सलाहकार और लागत सलाहकार के पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न प्रभागों/अनुभागों/प्रकोष्ठों द्वारा

किया जाता है। इन अनुभागों द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:

2.3.3 कंपनी विधि–I अनुभाग कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों के शासन संबंधी कानूनी ढांचे से संबंधित विधायी प्रक्रियाओं तथा इनके अंतर्गत नियमों, विनियमों और परिपत्रों की अधिसूचना से संबंधित कार्य देखता है।

2.3.4 कंपनी विधि–II अनुभाग क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों, जांच प्रतिवेदनों और तकनीकी संवीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करता है। इन प्रतिवेदनों की जांच के पश्चात् अभियोजन के आदेश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुभाग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत धनराशि के दुरूपयोग अथवा अन्यत्र उपयोग से संबंधित शिकायतों और कंपनी के कुप्रबंधन आदि की जांच करता है।

2.3.5 कंपनी विधि–III अनुभाग (क) शेयरपूंजी में कटौती, (ख) तुलन पत्र और लाभ हानि विवरण का प्ररूप और विषयवस्तु, (ग) सरकारी कंपनियों के समामेलन/समझौतों की योजनाएं, (घ) कंपनियों के नाम के अनुमोदन और उनसे संबंधित मामलों के बारे में क्षेत्रीय निदेशकों/कंपनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त पत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) तथा (ड.) लाइसेंस प्रदान करने, ऐसे लाइसेंस रद्द करने, संगत ज्ञापन और अनुच्छेद में परिवर्तन, छूट देने और इस प्रकार की कंपनियों से संबंधित मामलों के लिए क्षेत्रीय निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त पत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8)।

2.3.6 कंपनी विधि–IV (विधायी) अनुभाग के प्रमुख कार्यों में ये कार्य शामिल हैं

(क) पैरा–वार टिप्पणियों की जांच जिनमें भारत सरकार एक पक्ष है।

(ख) मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त अनुरोध पर सरकारी वकील नियुक्त करना।

(ग) उन सभी मुकद्दमों की मॉनिटरिंग जिनमें मंत्रालय एक पक्ष है।

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399(4) के अधीन केंद्र सरकार को किए गए आवेदनों/याचिकाओं की जांच, और

(ड़) मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों द्वारा मांगे जाने पर कानूनी परामर्श देना।

2.3.7 कंपनी विधि–V (नीति) अनुभाग मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समितियों और सचिवों की समिति के विचारार्थ नीतिगत मामलों से संबंधित कार्य करता है। यह अनुभाग संस्थानों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषित करने; पूंजी बाजार, सेबी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मनीलांड्रिंग, लेखांकन मानकों/आईएफआरएस के साथ समाभिरूण से संबंधित मुद्दों की देखरेख करता है। यह अनुभाग कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण/सरलीकरण जारी करता है। यह अनुभाग कारपोरेट विधि के कार्यान्वयन में सहायता करने वाली विभिन्न योजनाएं शुरू करने, ई–गवर्नेस प्ररूप, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों में समन्वय और सरकारी कंपनियों की वार्षिक आम बैठकों के आयोजन के स्थान में परिवर्तन आदि के लिए भी उत्तरदायी है।

2.3.8 कंपनी विधि–VII अनुभाग किसी कंपनी में प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति, यदि वह नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के भाग–I के अनुरूप न हो तो उससे संबंधित सांविधिक प्रयोज्यताओं की देखरेख करता है। यह अनुभाग कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 196, 197 के अधीन सूचीबद्ध कंपनियों और किसी सूचीबद्ध कंपनी की अनुषंगी कंपनियों के प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक के भुगतान की भी देखरेख करता है जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान किए गए पारिश्रमिक की वसूली हटाना भी शामिल है।

2.3.9 लागत लेखा शाखा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन निम्नलिखित कार्य करती है:

(i) लागत लेखा अभिलेखों और लागत लेखापरीक्षा के लिए नीति तैयार करना;

(ii) इनके संबंध में नियम तैयार और अधिसूचित करना (क) कंपनियों के किसी वर्ग द्वारा यथानिर्धारित लागत लेखा रिकॉर्ड रखना और (ख) कंपनियों के किसी वर्ग के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा;

(iii) लागत अभिलेखों और लेखापरीक्षा नियमों को तर्कसंगत बनाना, जहां कहीं आवश्यक हो;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य संबंधित धाराओँ तथा कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुपालन की निगरानी;

(v) चूक करने वाली कंपनियों और लागत लेखापरीक्षकों के विरूद्ध कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से दंडात्मक अभियोजन कार्रवाई शुरू करना;

(vi) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की पुनरीक्षा, जांच और अध्ययन तथा यदि आवश्यक हो तो कंपनियों से और अधिक सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करनाः

(vii) इस प्रकार के अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में संबंधित विभागों/संगठनों/नियामक निकायों को सूचित करना;

(viii) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा प्रस्तुत लागत लेखापरीक्षा मानकों की समीक्षा और उनके अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करना।

2.3.10 निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईजीएमसी) जिसे पहले निवेशक संरक्षण प्रकोष्ठ (आईपीसी) कहा जाता था, का कार्य निवेशक शिकायतों का निपटान करना है। इस अनुभाग का कार्य संबंधित कंपनियों के विरूद्ध निवेशकों द्वारा की गई शिकायतों का कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से शीघ्र निपटान करना है। यह अनुभाग भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, सेबी आदि जैसे विभिन्न अन्य संगठनों/विभागों के साथ इन एजेंसियों के विरूद्ध प्राप्त निवेशक शिकायतों के समाधान हेतु समन्वय भी करता है। मुख्य रूप से आईजीएमसी में प्राप्त शिकायतें निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित होती हैंः

क. वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना

ख. लाभांश राशि न मिलना

ग. आवेदन राशि वापस न मिलना

घ. परिपक्व जमाराशि और उस पर ब्याज का भुगतान न होना

ड़. डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र न मिलना

च. शेयर अंतरण का पंजीकरण न होना

छ. शेयर प्रमाणपत्र जारी न किया जाना

ज. डिबेंचर प्रमाणपत्र न मिलना

झ. राईट्स/बोनस शेयर जारी न किया जाना

ञ. देरी से भुगतान मिलने पर ब्याज न देना

ट. डिबेंचर का पुनर्विमोचन और उस पर ब्याज का भुगतान न किया जाना

ठ. परिवर्तन पर शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होना

निवेशक/जमाकर्ता अपनी शिकायतें मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) का प्रयोग करते हुए एमसीए21 पोर्टल के माध्यम से संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के पास ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत की पावती प्रणाली में एक शिकायत संख्या द्वारा दी जाएगी जिसका प्रयोग भविष्य में शिकायत का अनुसरण करने के लिए किया जा सकता है। निवेशक शिकायतों के समाधान में फील्ड कार्यालयों के सक्रिय सहयोग के लिए क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों के साथ–साथ मंत्रालय के मुख्यालय में नामित अधिकारी की अध्यक्षता में एक नोडल टीम का गठन किया गया है। निवेशक अपनी शिकायतें कंपनी रजिस्ट्रार/क्षेत्रीय निदेशक स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों को सीधे ही कर सकते हैं। यदि किसी निवेशक की शिकायत का एक समुचित अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी समाधान नहीं किया गया है तो उसे मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है। मंत्रालय के नोडल अधिकारियों की सूची कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर "निवेशक सेवाएं" शीर्षक के अधीन उपलब्ध हैं। निवेशक शिकायतों से निपटने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने हेतु आईजीएम प्रकोष्ठ द्वारा एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

2.3.11 कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रकोष्ठ का गठन दिनांक 09.05.2014 को किया गया था और इसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर नियमों और **अनुसूची–VII** में संशोधन प्रस्तावित करना;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की **अनुसूची–VII** और कंपनी (सीएसआर नीति) नियमों, 2014 के संबंध में पक्षकारों से प्राप्त संदर्भों पर स्पष्टीकरण जारी करना;

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सीएसआर कार्यान्वयन के लिए लोक उद्यम विभाग और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय;

(iv) कंपनियों के सीएसआर व्यय से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण;

(v) कंपनियों द्वारा सीएसआर अनुपालन का नियमन;

(vi) लोक उद्यम विभाग, शीर्ष संघों, आईआईसीए और इस मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आयोजित जानकारी कार्यशालाओं में भाग लेना।

2.3.12 अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग (आर एंड ए) इन कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 461 के अधीन यथानिर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 की कार्यप्रणाली और प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और संबंधित वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ii) मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और इसे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करने हेतु वित्त संबंधी स्थायी समिति को प्रस्तुत करना;

(iii) अन्य बातों के साथ–साथ कारपोरेट निष्पादन, पूंजी बाजार सुधारों, विनिवेश और वृहद स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराना;

(iv) विनिवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा गठित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश हेतु अंतःमंत्रालयी समूह (आईएमजी) में कारपोरेट कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना;

(v) कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) की योजना स्कीम के क्षमता / निर्माण घटक का प्रबंधन

(vi) मंत्रालय की स्ट्रैटेजिक योजना तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करना; और

(vii) मंत्रालय तथा नीति आयोग के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करना।

2.3.13 सांख्यिकी प्रभाग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

(i) कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी सूचना का केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संगठनों, जब कभी आवश्यक हो, के साथ आदान–प्रदान करना;

(ii) मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के लिए रिपोर्टें तैयार करना;

(iii) एमसीए21 पोर्टल से प्राप्त कारपोरेट आंकड़ों में सुधार संबंधी मुद्दों की जांच और समाधान;

(iv) 'कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सी डी एम)' की केन्द्रीय योजना स्कीम का कार्यान्वयन।

2.3.14 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग अन्य देशों में समकक्ष संगठनों, कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम (सीआरएफ), ग्लोबल रिपोर्टिगं इनिशिएटिव (जीआरआई), इंटरनेशनल एसोशिएशन ऑफ इंसोल्वेंसी रेग्यूलेटर्स (आईएआईआर), आर्गनाइजेशन फॉर इक्नोमिक कॉआपरेशन एंड डेवल्पमेंट (ओईसीडी), अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों का अनुमोदन आदि के साथ समन्वय एवं विचार–विमर्श आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.3.15 आरटीआई मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़ी सभी सूचनाओं का भंडार

होने के साथ–साथ आवेदक/अपीलकर्ता और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपील प्राधिकारी के मध्य संपर्क का कार्य भी करता है। यह प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओं, जिनके तहत सरकारी अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है, के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्रगति की मॉनिटरिंग भी करता है ताकि निर्धारित समय सीमा में इनका निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

2.3.16 महिला बजट प्रकोष्ठ (जीबीसी) सरकारी बजट में महिलाओं के लिए विश्लेषण के एकीकरण में सहायता करने के लिए है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के महिला बजट प्रकोष्ठ में कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मंत्रालय की विभिन्न शाखाओँ के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और संबद्ध कार्यालय तथा व्यावसायिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना/डाटाबेस प्रणाली तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जीबीसी का उद्देश्य कारपोरेट क्षेत्र की नीतियों का महिलाओँ की समानता और सशक्तीकरण के मुद्दों पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ–साथ बजट आबंटन में महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता को बढावा देना है।

2.3.17 राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन करता है; राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजातों का अंग्रेजी से हिंदी और विलोमतः अनुवाद तथा साथ ही संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य देखता है। यह अनुभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन और हिंदी सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह हिंदी शिक्षण योजना के प्रशासन के साथ–साथ हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। यह अनुभाग मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए सुझाव भी देता है।

2.3.18 सतर्कता अनुभाग कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करता है, भ्रष्टाचार में शामिल कथित कर्मचारियों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच करता है। यह अनुभाग भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम करने और सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने के लिए भी प्रयास करता है। इस दिशा में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय के 45 पदों की पहचान संवेदनशील पदों के रूप में की गई ताकि इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों को प्रत्येक 2/3 वर्षों के बाद रोटेट किया जा सके।

2.3.19 प्रशासन–I अनुभाग केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत मुख्यालय के सभी समूह 'क' अधिकारियों; मुख्यालय में भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस), भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस), भारतीय लागत एवं लेखांकन सेवा (आईसीएएस) और केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएल) के संवर्ग पदों के सभी समूह के अधिकारियों; केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियोंः केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के अधिकारियों; केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) के अधिकारी; सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' और 'ग' पदों; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संवर्ग पदों से संबंधित स्थापना मामलों की देखरेख करता है। यह अनुभाग कारपोरेट कार्य मंत्री के कार्यालय, कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री के कार्यालय से संबंधित पदों के सृजन और स्थापना मामले तथा आईसीएलएस के अलावा मुख्यालय में पदों का सृजन/जारी रखने के साथ–साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी करता है।

2.3.20 प्रशासन–II अनुभाग भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) (समूह 'क') और आईसीएलएस के अन्य अधीनस्थ ग्रेड के अधिकारियों के सभी स्थापना संबंधी मामलों, आईसीएलएस अधिकारियों और इसके फीडर संवर्ग का प्रशिक्षण और क्षमतानिर्माण, आईसीएलएस और इसके फीडर संवर्ग के भर्ती/सेवा नियम तैयार करना/संशोधित करना, आईसीएलएस और इसके अधीनस्थ ग्रेड में समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों की भर्ती, आईसीएलएस और इसके अधीनस्थ ग्रेड में अधिकारियों की समीक्षा करना ताकि मूल नियम 56(ञ) के अधीन सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जा सके और संवेदनशील पदों की पहचान की जा सके।

2.3.21 प्रशासन–III अनुभाग गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के सभी नीति संबंधी मुद्दे और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय से संबंधित स्थापना, कार्मिक तथा वित्तीय मामले जिनके लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

2.3.22 प्रशासन–IV अनुभाग कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) से संबंधित स्थापना, कार्मिक एवं वित्तीय मामलों को देखता है जिनके लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

2.3.23 प्रतिस्पर्धा अनुभाग प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी मामले; प्रतिस्पर्धा नीति तैयार करना; भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के सभी स्थापना, कार्मिक एवं वित्तीय मामले जिनके लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है; भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामले देखता है।

2.3.24 आधारिक संरचना अनुभाग (क) मंत्रालय और इसके फील्ड कार्यालयों के लिए भूमि और भवन की खरीद; (ख) मंत्रालय और इसके फील्ड कार्यालयों के लिए सभी भवनों (पुराने और नए) के निर्माण/मरम्मत/रख–रखाव के लिए पूंजीगत निर्माण कार्य; और (ग) मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में किराए पर भवन लेने के लिए समझौतों को अंतिम रूप देना।

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/संगठन

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)

2.4.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के अधीन 01 जून, 2016 से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) का गठन किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 466(1) के प्रभाव से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित तत्कालीन कंपनी विधि बोर्ड उस तारीख से ही विघटित हो गया है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी)

2.4.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के अधीन दिनांक 01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 1933(अ) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन किया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2.5.1 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए मार्च, 2009 में विधिवत रूप से की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य इस प्रकार हैः

क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना;

ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढावा देना और सुस्थिर बनाना;

ग) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण; और

घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

2.5.2 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विलयन या संयोजन नियमित करने का और यदि उसका यह मत हो कि किसी विलयन या समामेलन का भारत में प्रतिस्पर्धा पर 'महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव' है या पड़ने की संभावना है तो समाप्त करने का अधिकार है।

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण

2.6. प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 14.10.2003, को की गई थी जिसके पास भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निदेशों अथवा निर्णयों के विरूद्ध की गई अपीलों को सुनने और आयोग व स्वंय अधिकरण के निर्णयों के कारण उत्पन्न होने वाले क्षतिपूर्ति के दावों पर निर्णय करने का अधिकार है।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ)

2.7. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की स्थापना दिनांक 02.07.2003 के एक संकल्प द्वारा की गई थी और इसे अब सांविधिक दर्जा दे दिया गया है। यह एक बहु विषयक जांच एंजेसी है जिसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार, कारपोरेट, विधि फारेंसिक जांच, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर कारपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाते हैं। इसका अध्यक्ष निदेशक है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का है। निदेशक की सहायता के लिए अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक, सहायक निदेशक, अभियोजक और अन्य सचिवीय स्टाफ है। एसएफआईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुबंई, नई दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं। एसएफआईओ के लिए नए भर्ती नियम अधिसूचित किए जा रहे हैं जिससे समय के साथ एक स्थायी संवर्ग का सृजन हो सकेगा।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)

2.8. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना एक 'विचार मंडल', कार्य अनुसंधान, सेवा सुपुर्दगी और क्षमता निर्माण संस्थान के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य सरकार, कारपोरेट संस्थानों और अन्य पक्षकारों के बीच भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हुए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना है। आईआईसीए का अध्यक्ष एक महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। सितंबर, 2008 में एक समिति के रूप में अपनी स्थापना से लेकर अब तक संस्थान ने अपने अधिदेश का अनुपालन करने के लिए अनेक कदम उठाए है। इसके सभी पांच स्कूल और पांच केन्द्र शुरू हो गए हैं। यह संस्थान कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, कंपनी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, प्रतिस्पर्धा मुद्दों आदि विषयों पर विभिन्न पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करने हेतु एक महत्वपूर्ण संस्थान बन गया है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण

2.9.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 में इस कोष के प्रशासन के लिए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। आईईपीएफ प्राधिकरण का गठन करने के लिए दिनांक 13.01.2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 26 द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों तथा अधिकारियों के लिए प्रावधान) नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष, छः सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आईईपीएफ प्राधिकरण के लिए पांच पद स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से एक महाप्रबंधक और एक सहायक महाप्रबंधक का पद प्रतिनियुक्ति आधार पर है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी का एक और सहायक लेखा अधिकारी के दो पद भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) में संवर्गित किए गए हैं।

2.9.2 निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 भी दिनांक 05 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 854(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इस प्राधिकरण के कार्यों में अन्य बातों के साथ–साथ आईईपीएफ को अंतरित की गई अप्रदत्त धनराशि की पात्र दावेदारों को वापसी करना और निवेशकों में जागरूकता तथा उसके संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है।

व्यावसायिक संस्थान

2.10. यह मंत्रालय संसद के अधिनियमों के तहत गठित तीन व्यवसायिक संस्थानों नामतः भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के माध्यम से लेखाकारिता (चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949); लागत लेखाकारिता (लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959); और कंपनी सचिव (कंपनी सचिव अधिनियम, 1980); के व्यवसायों का नियमन करने वाले कानूनों का प्रशासन करता है।

*****

अध्याय – III
कंपनी अधिनियम और इसका प्रशासन

3.1. कंपनी अधिनियम कंपनियों के निगमन, प्रचालन, शासन, परिसमापन और बंद करने सहित व्यापक कार्यकलापों का विनियमन करता है। कारपोरेट शासन का विनियमन, और कंपनियों के शेयरधारकों के प्रति उनका दायित्व, अधिमान शेयर जारी करने का शासन करने वाली शर्तें, निजी स्थापन और लाभांश के वितरण, सांविधिक प्रकटीकरण दायित्व, निरीक्षण, जांच और प्रवर्तन के अधिकार और कंपनी प्रक्रियाएं जैसे विलय/समामेलन/व्यवस्था/पुनर्गठन आदि जैसे विषय अधिनियम के मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं।

नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना

3.2 दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान मंत्रालय ने 44 अधिसूचनाएँ और 17 सामान्य परिपत्र जारी किए (क्रमशः **अनुलग्नक–II और III**) ।

कंपनियों का पंजीकरण

3.3.1 दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार कुल 16,13,371 कंपनियां रजिस्ट्रीकृत थीं। इनमें से, 11,43,131 कंपनियां सक्रिय थीं (जिसमें 10,77,398 प्राइवेट कंपनियां और 65,733 पब्लिक कंपनियां थीं)। सक्रिय कंपनियों में अधिकांश (लगभग 73%) मुख्यतया चार शीर्षों के अधीन शामिल कार्यकलापों में प्रचालन कर रही थीं, अर्थात 'व्यापार सेवाएं' (29%), 'विनिर्माण' (20%), 'व्यवसाय' (14%) और 'निर्माण' (10%)। व्यापार सेवाओं में अन्य बातों के साथ–साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, डाटा प्रोसेसिंग, अनुसंधान और विकास, विधि, लेखांकन और लेखापरीक्षा सेवाएं, व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श और विज्ञापन शामिल हैं। विनिर्माण में अन्य बातों के साथ–साथ खाद्य उत्पादों, वस्त्र, कागज का निर्माण, धात्विक और अधात्विक खनिज उत्पाद, रसायन और पेट्रो रसायन, रेडियो, टेलिविजन, परिवहन उपकरण आदि शामिल हैं।

3.3.2 दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार सक्रिय कंपनियों का आर्थिक क्षेत्र–वार वितरण और उनकी प्राधिकृत पूंजी **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1
दिनांक 31 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार सक्रिय कंपनियों का आर्थिक क्षेत्र–वार वितरण

(प्राधिकृत पूंजी करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	आर्थिक कार्यकलाप	प्राइवेट		पब्लिक		कुल	
		संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी
I	**कृषि और संबद्ध कार्यकलाप**	**28,964**	**19,513.64**	**2,874**	**33,019.06**	**31,838**	**52,532.71**
II	**उद्योग**	**3,44,589**	**8,52,501.02**	**25,388**	**20,46,204.09**	**3,69,977**	**28,98,705.11**
1	विनिर्माण	2,12,224	4,79,698.63	17,439	7,56,346.91	2,29,663	12,36,045.54
2	निर्माण	1,07,455	1,93,172.95	5,419	2,37,242.90	1,12,874	4,30,415.85
3	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	13,363	1,41,937.86	1,814	9,97,305.51	15,177	11,39,243.37

क्र.सं.	आर्थिक कार्यकलाप	प्राइवेट		पब्लिक		कुल	
		संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी
4	खनन और उत्खनन	11,547	37,691.58	716	55,308.77	12,263	93,000.35
III	**सेवाएं**	**6,85,473**	**8,58,582.96**	**35,484**	**13,07,281.06**	**7,20,957**	**21,65,864.02**
1	व्यवसाय सेवाएं	3,15,437	3,21,784.67	10,473	4,64,193.92	3,25,910	7,85,978.59
2	व्यापार	1,54,445	1,77,848.90	6,393	1,00,375.35	1,60,838	2,78,224.25
3	स्थावर संपदा व किराए	75,090	72,888.18	4,014	34,008.68	79,104	1,06,896.87
4	सामुदायिक, निजी और सामाजिक सेवाएं	63,860	72,171.09	3,874	1,32,696.76	67,734	2,04,867.85
5	परिवहन, भंडारण और संचार	34,615	50,405.93	1,492	2,32,146.15	36,107	2,82,552.08
6	वित्त	41,271	1,60,998.60	9,094	2,98,517.75	50,365	4,59,516.35
7	बीमा	755	2,485.60	144	45,342.45	899	47,828.04
IV	**अन्य**	**18,372**	**34,519.91**	**1,987**	**1,17,891.42**	**20,359**	**1,52,411.33**
कुल योग (I+II+III+IV)		**10,77,398**	**17,65,117.53**	**65,733**	**35,04,395.63**	**11,43,131**	**52,69,513.16**

चार्ट 3.1
सक्रिय कंपनियों का क्षेत्रवार वितरण (31.12.2016 तक)

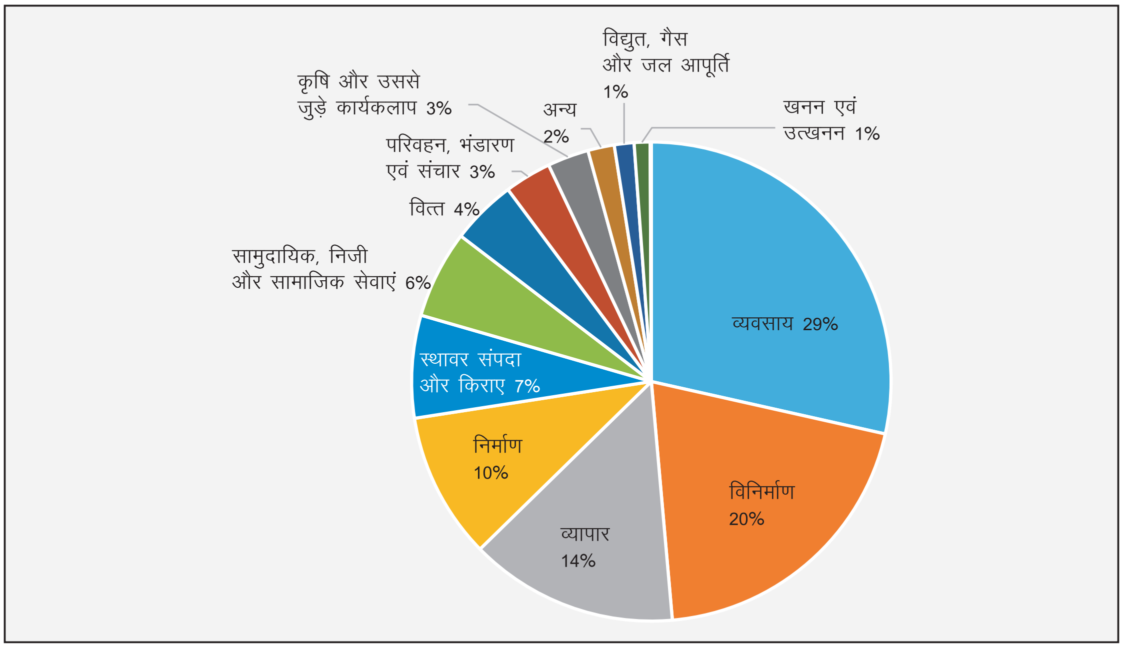

3.3.3 दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान कुल 93,718 कंपनियां पंजीकृत हुईं जिनकी सामूहिक प्राधिकृत पूंजी 50,244.17 करोड़ रूपए थी। इनमें से 115 सरकारी कंपनियां थीं जिनकी प्राधिकृत पूंजी 31,247.07 करोड़ रुपए थी और 93,603 गैर–सरकारी कंपनियां थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी 18,997.10 करोड़ रुपए थी।

एक व्यक्ति कंपनी

3.3.4 कंपनी अधिनियम, 2013 से भारत में एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) की संकल्पना की शुरूआत हुई है। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान 115.62 करोड़ रुपए की सामूहिक प्राधिकृत पूंजी के साथ 4,605 एक व्यक्ति कंपनियां पंजीकृत की गईं। **चार्ट 3.2** दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान पंजीकृत एकल व्यक्ति कंपनियों का क्षेत्र–वार वितरण दर्शाता है।

चार्ट 3.2

एक व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) का क्षेत्र–वार वितरण

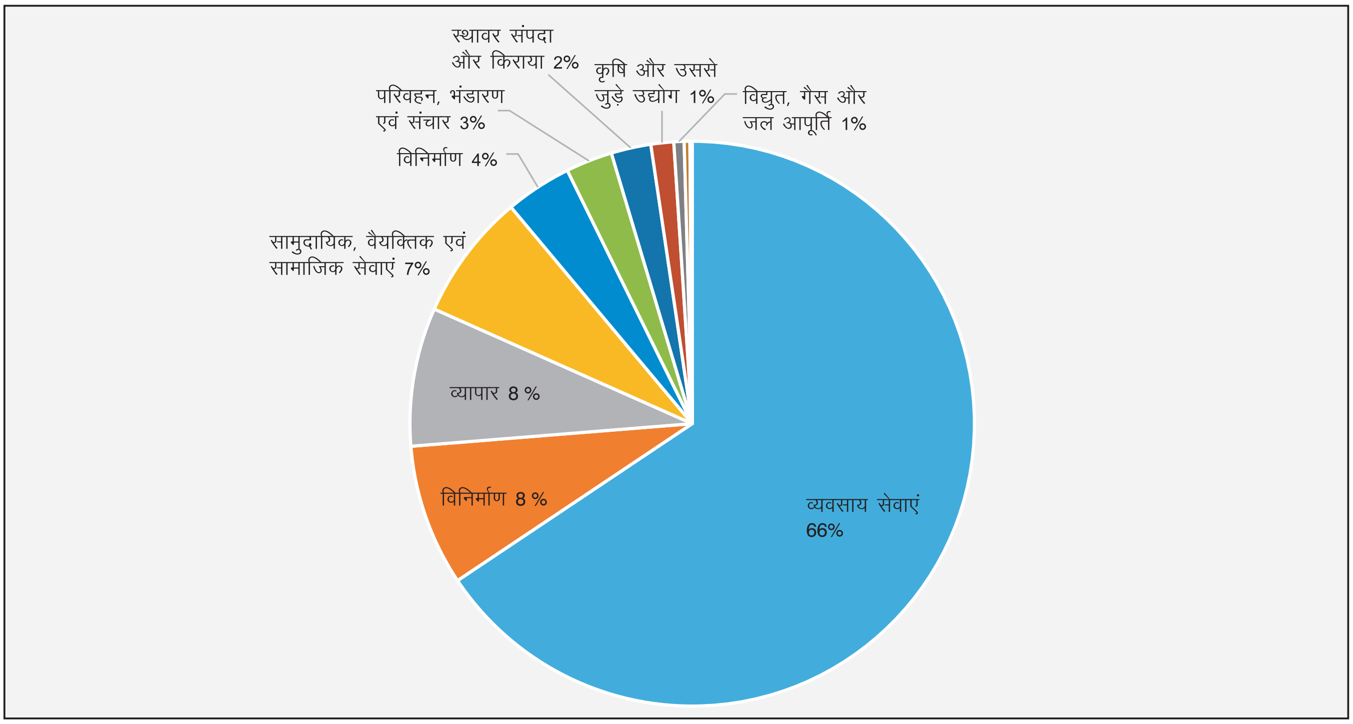

विदेशी कंपनियां

3.3.5 दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत विदेशी कंपनियों की कुल संख्या 4,491 थीं जिसमें से 3,382 विदेशी कंपनियां सक्रिय थी। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कुल 150 विदेशी कंपनियां रजिस्ट्रीकृत की गईं।

प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक

3.4.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय किसी कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक यदि यह नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197 के अधीन अनुसूची–V के भाग–I के अनुरूप न हो, तो उससे संबंधित सांविधिक आवेदनों का निपटान करता है

जिसमें ऐसे प्रबंधकीय कार्मिकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा से अधिक दिए गए पारिश्रमिक की वसूली हटाना भी शामिल है।

3.4.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 196 और 197 के अधीन 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान कुल 452 आवेदन प्राप्त हुए और 31.12.2016 तक 332 आवेदन लंबित थे। कुल 784 आवेदनों में से दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान 443 आवेदन निपटाए गए।

शेयरपूंजी में कटौती

3.4.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 101 के अधीन (कंपनी अधिनियम, 2013* की धारा 66) 31.12.2015 तक कोई आवेदन लंबित नहीं था। दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 के दौरान 01 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ और इस अवधि के दौरान उसका निपटान किया गया।

वार्षिक साधारण बैठक के स्थान में परिवर्तन

3.4.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96, जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166(2) को प्रतिस्थापित किया है, के अधीन वार्षिक साधारण बैठक का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय स्थान के अलावा कहीं अन्यत्र परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन देने की शक्ति है। दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 के दौरान 26 आवेदन प्राप्त हुए और 01.12.2016 को कोई आवेदन लंबित नहीं था। सभी आवेदनों का इस अवधि में निपटान किया गया।

सरकारी कंपनियों का समामेलन

3.4.5 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391–394 के अधीन 01.01.2016 से 30.11.2016 के दौरान केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ और तीन आवेदन दिनांक 31.12.2015 तक लंबित थे। इस अवधि के दौरान कुल 4 आवेदनों पर विचार किया गया और 3 का निपटान किया गया तथा 30.11.2016 तक एक आवेदन लंबित था।

कंपनियों का परिसमापन

3.4.6 दिनांक 01.01.2016 को 5216 कंपनियां परिसमापनाधीन थीं; इनमें से 597 कंपनियां सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रियाधीन थीं, 3 कंपनियां लेनदारों की स्वेच्छा से परिसमापन में थी और 4616 कंपनियां न्यायालय द्वारा बंद किए जाने के प्रक्रियाधीन थी। 01.01.2016 से 30.11.2016 के दौरान कुल 297 कंपनियों का परिसमापन किया गया। 01.01.2016 से 30.11.2016 के दौरान कुल 5513 में से 301 कंपनियों का अंतिम रूप से विघटन किया गया। दिनांक 30.11.2016 तक 5212 कंपनियां परिसमापनाधीन थी जिनमें से 68 कंपनियां सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने, एक कंपनी लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक रूप से और 232 कंपनियां न्यायालय द्वारा बंद किए जाने की प्रक्रिया में थीं। दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 की अवधि के दौरान कुल 301 कंपनियों का अंतिम रूप से विघटन किया गया।

विलंब की माफी

3.4.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460(ख), जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637(ख) का स्थान लिया है, के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी उपबंध के अधीन रजिस्ट्रार के पास दायर किए जाने हेतु अपेक्षित कोई दस्तावेज उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर दायर नहीं किया जाए तो केन्द्रीय सरकार लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ विलंब की माफी दे सकती है। दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 के दौरान कुल 678 आवेदन प्राप्त हुए और 01.01.2016 तक 388 आवेदन लंबित थे। इस अवधि के दौरान कुल 1066 आवेदनों में से 657 आवेदनों का निपटान किया गया और दिनांक 01.12.2016 तक 409 आवेदन लंबित थे।

संवीक्षा

3.4.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 की उपधारा (1), (2) और (3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को किसी कंपनी से संबंधित सूचना, स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांगने का अधिकार है। दिनांक 01.01.2016 से

*15.12.2016 को अधिसूचित

30.11.2016 के दौरान मंत्रालय में 216 संवीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

निरीक्षण

3.4.9 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) कंपनी रजिस्ट्रारों या, केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्राधित अधिकारियों को कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए विशेष लेखापरीक्षा का आदेश देने के लिए कंपनी की लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों की जांच करने, कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश देने और अभियोजन चलाने का अधिकार देती है। मंत्रालय को दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 के दौरान 63 निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

जांच

3.4.10 कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 और धारा 212 के अधीन दिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के विभागों से अनुरोध प्राप्त होने के साथ–साथ जनहित में स्वतः ही धारा 212 के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को मामले सौंपे जा सकते हैं।

मंत्रालय ने दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 की अवधि के दौरान एसएफआईओ और क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों के माध्यम से 232 कंपनियों के मामले में जांच आदेश दिए। पिछले वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए जांच आदेशों में से वर्ष के दौरान 67 कंपनियों के मामलों में जांच पूरी कर ली गई है। दिनांक 30.11.2016 के अनुसार 284 कंपनियों के मामले में जांच की जा रही थी जिनमें कोर्ट आदेशों द्वारा दो मामलों में जांच पर लगाई गई रोक और एक मामले में कोर्ट द्वारा समाप्त की गई जांच भी सम्मिलित है।

अभियोजन

3.5. कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा कंपनियों के विरूद्ध अभियोजन चलाए जाते हैं। दिनांक 01.01.2016 के अनुसार विभिन्न कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा दायर 46,100 अभियोजन न्यायालयों में लंबित थे। वर्ष 2016–17 के दौरान (30.11.2016 तक) 2516 नए अभियोजन दायर किए गए थे। दिनांक 30.11.2016 के अनुसार 48616 मामलों में से 1800 अभियोजनों का निपटान किया गया और 46816 अभियोजन लंबित थे।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

3.6.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय में मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री एम.एम. कुमार, अध्यक्ष, कंपनी विधि बोर्ड को दिनांक 1 जून, 2016 से अंतरिम व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण(एनसीएलटी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उन्हें पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी आयु 67 वर्ष होने तक या आगे के आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उनकी नियुक्ति पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन के परिणामस्वरूप मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री एम एम कुमार ने दिनांक 23 नवम्बर, 2016 से नियमित आधार पर एनसीएलटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

3.6.2 इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2015 बनाए हैं। पहले चरण में केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 01 जून, 2016 की अधिसूचना का. आ. 1935(अ) के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की खंडपीठों का गठन किया है। खंडपीठों की सूची **अनुलग्नक–IV** पर है।

3.6.3 राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की अपनी वेबसाइट www.nclt.gov.in है जिस पर खंडपीठों के संगठन, कार्यप्रणाली, क्षेत्राधिकार, वादसूची, अधिकरण की खंडपीठों द्वारा पारित किए गए आदेश, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 आदि उपलब्ध हैं। सभी अंतरिम और अंतिम आदेशों तथा न्यायनिर्णयों की प्रतियां उक्त वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं जहां से हितधारक/व्यवसायिक उन्हें देख/डाउनलोड कर सकते हैं। यह वेबसाइट हितधारकों की सुविधा के लिए नियमित आधार पर अद्यतन की जाती है।

3.6.4 कोई भी व्यक्तिगतरूप से या दूरभाष के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में संपर्क करता है तो उन्हें

सभी आवश्यक सूचनाएं और दिशा–निर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं। सुविधा केन्द्र और फाइलिंग काउंटर कार्यरत हैं। एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय अधिवक्ताओं और व्यवसायिकों के प्रयोग के लिए उपलब्ध है।

3.6.5 राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में उसके गठन की तारीख अर्थात् 1.6.2016 से 30.11.2016 तक दायर मामले, उनका निपटान और लंबित मामलों की संख्या नीचे **तालिका 3.2** पर दी गई है:

तालिका 3.2

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में दिनांक 01.06.2016 से 30.11.2016 तक प्राप्त/निपटाए गए आवेदनों और लम्बित मामलों की संख्या

क्र.सं.	माह	माह के प्रारंभ में लंबित मामलों/ आवेदनों की संख्या	माह के दौरान प्राप्त/दायर मामलों/ आवेदनों की संख्या	माह के दौरान निपटाए गए मामलों/ आवेदनों की संख्या	माह के अंत में लंबित मामलों/ आवेदनों की संख्या
1	जून 2016	5345	15	64	5296
2	जुलाई 2016	5296	76	3	5370
3	अगस्त 2016	5370	363	173	5621
4	सितंबर 2016	5621	381	434	5462
5	अक्तूबर 2016	5462	420	477	5405
6	नवंबर 2016	5405	475	776	5102

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच और अभियोजन

(क) जांच

3.7.1 दिनांक 1.4.2015 से 30.09.2016 तक की अवधि के दौरान एसएफआईओ द्वारा मंत्रालय को सौंपी गई जांच रिपोर्टों की संख्या निम्नानुसार है:

तालिका 3.3

एसएफआईओ द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्टें

अवधि	कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्टें
दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक	**39**
दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2016 तक	**66**

(ख) अभियोजन

3.7.2 दिनांक 1.4.2015 से 30.11.2016 की अवधि के दौरान विभिन्न नामित न्यायालयों में दायर अभियोजनों की संख्या निम्नानुसार हैः

तालिका 3.4

विभिन्न नामित न्यायालयों में दायर अभियोजनों की संख्या

अवधि	दायर अभियोजनों की संख्या			दायर अभियोजनों की कुल संख्या
	कंपनी विधि/आईपीसी	आईसीएआई/ आईसीएसआई	सीएलबी	
दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक	**43**	**06**	**01**	**50**
दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 तक	**23**	**6**	**0**	**29**

लागत लेखापरीक्षा

3.8.1 कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2016 दिनांक 14 जुलाई 2016 को अधिसूचित किए गए। इन संशोधनों के माध्यम से निम्नलिखित परिवर्तन किए गएः

- दूरसंचार, पैट्रोलियम आदि जैसे कुछ क्षेत्रों/उद्योगों के विवरण/व्यापक अर्थव्यवस्था और व्यापार समझौते (सीईटीए) के शीर्षक में परिवर्तन।
- नियुक्ति से पहले लागत लेखापरीक्षक से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए ।
- लागत लेखापरीक्षक को हटाने या पदत्याग से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए।

3.8.2 मंत्रालय को वर्ष 2015–16 के दौरान लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित 6764 ई–प्ररूप (196, प्ररूप 23ग और 6568, प्ररूप सीआरए–2) प्राप्त हुए। वर्ष 2016–17 से दिनांक 30 नवंबर, 2016 तक 7780 ई–प्ररूप (प्ररूप सीआरए–2) फाइल किए गए। ऐसे सभी फाइलिंग इस अवधि के दौरान निपटा दी गई।

3.8.3 साथ ही वर्ष 2015–16 और 2016–17 से दिनांक 30 नवंबर 2016 तक प्राप्त लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या क्रमशः 7640 (1960, I-XBRL और 5680, सीआरए–4) और 5314 (34, I-XBRL और 5280, सीआरए–4) थी।

3.8.4 वर्ष 2015–16 के दौरान मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा दायर 33 लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें और तीन अनुपालन रिपोर्टें विभिन्न प्रयोक्ता विभागों के साथ साझा की। वर्ष 2016–17 से 30 नवंबर 2016 तक साझा की गई ऐसी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या 21 थी।

*****

अध्याय – IV
सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

4.1 भारत में लगभग 95% औद्योगिक ईकाइयां छोटे एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इन लघु एवं मध्यम उद्यमों में से 90% मालिकाना रूप से पंजीकृत है, लगभग 2% से 3% भागीदारी के रूप में एवं 2% से कम कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एसएमई के मध्य कारपोरेट स्वरूप बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता लगता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उच्च अनुपालन लागत छोटे एवं मध्यम उद्यमों को कारपोरेट रूप अपनाने में हतोत्साहित करती है। लेकिन मालिकाना या भागीदारी फर्म की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी नहीं होती अतः बैंकों द्वारा उनकी साख का आकलन करना कठिन होता है और इसीलिए एसएमई क्षेत्र को कारपोरेट निकायों की तुलना में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं उधार सुविधाएं तुलनात्मक रूप से कम मिलती हैं।

4.2 इस परिप्रेक्ष्य में एक नए कारपोरेट स्वरूप की जरूरत महसूस की गई जो लचीले, नए एवं कुशल तरीके से संयोजन, संगठन एवं प्रचालन हेतु व्यावसायिक विशेषज्ञता एवं उद्यमिता पहल–प्रयास के लिए एक ओर असीमित व्यक्तिगत देयता के साथ पारंपरिक भागीदारी का विकल्प उपलब्ध कराए वहीं दूसरी और सीमित देयता कंपनी को संविधि आधारित शासन संरचना उपलब्ध कराए। वैश्विक स्तर पर, विशेषकर इंग्लैड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों में सीमित देयता भागीदारियों (एसएलपी) विशेषकर सेवा उद्योग या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिक पसंदीदा विकल्प है।

4.3 अतः सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने हेतु उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दृष्टि से भारत में व्यावसायिक संगठन के सीमित देयता भागीदारी स्वरूप को अनुमति दी है। संसद ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया जिसे 09.01.2009 को अधिसूचित किया गया और यह 31.03.2009 को लागू हुआ। संबद्ध नियम 01.04.2009 को अधिसूचित किए गए एवं पहली एलएलपी 02.04.2009 को पंजीकृत की गई।

4.4 एलएलपी व्यवसाय निकाय का वह स्वरूप है जो व्यक्तिगत भागीदारों को भागीदारी फर्म में भागीदारों की संयुक्त एवं अनेक देयताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यवसाय की सामान्य स्थिति में भागीदारों की देयता भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों तक नहीं होती। यह कंपनी अपने नाम से किसी संविदा में शामिल हो सकती है या संपत्ति रख सकती है। एलएलपी के लिए सीमित देयता के लाभ के साथ–साथ, मानकों का अनुपालन करना भी आसान है। एलएलपी की कारपोरेट संरचना एवं सांविधिक प्रकटीकरण अपेक्षाएं बाजार में अधिक ऋण सुलभ कराती हैं। व्यवसाय के एलएलपी स्वरूप के प्रारंभ होने से विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं बॉयोटेक्नोलॉजी क्षेत्रों जैसे ज्ञान आधारित उद्योगों में तथा अन्य सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के संबंध में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

4.5 दिनांक 11.06.2012 से एलएलपी रजिस्ट्रार के कार्य कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा किए जा रहे हैं। व्यक्ति एवं कारपोरेट निकाय, भारतीय या विदेशी, एलएलपी में भागीदार हो सकते हैं। इनमें से कम से कम दो "पदनामित भागीदार" होने चाहिए और न्यूनतम एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई कारपोरेट निकाय भी पदनामित भागीदार हो सकता है और ऐसी स्थिति में कारपोरेट निकाय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पदनामित भागीदार के रूप में कार्य करेगा। एलएलपी को कारपोरेट निकाय का दर्जा प्राप्त है और उसे अपने सदस्यों से अलग विधिक मान्यता प्राप्त होगी और इसमें उत्तराधिकार सतत् होगा। भागीदारों में परिवर्तन से अप्रभावित हुए बिना एलएलपी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है।

4.6 सीमित देयता भागिदारियों के लिए लेखाबहियों, प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले वार्षिक

वित्तीय विवरण और ऋणशोधन विवरण का रखना अपेक्षित है। सीमित देयता भागीदारी स्वैच्छिक रूप से अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश पर बंद की जा सकती है।

4.7 पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम एवं उसमें परिवर्तन, यदि कोई किए गए हो, लेखा एवं ऋणशोधन विवरण एवं वार्षिक विवरण किसी भी व्यक्ति द्वारा विहित शुल्क की अदायगी पर देखे जा सकते है। केन्द्र सरकार को एक निरीक्षक की नियुक्ति करके किसी एलएलपी के कार्यों की जांच यदि आवश्यक हो तो करने का अधिकार है।

4.8 किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एलएलपी में परिवर्तित किया जा सकता है। कारपोरेट कार्यों जैसे विलय, समामेलन आदि के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

4.9 पक्षकारों को परिचालन सुविधा प्रदान करने और उसे बढ़ाने तथा रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्यों को एक स्थान पर करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), ई गवर्नेंस पहल को 11.06.2012 से एमसीए–21 के साथ एकीकृत किया गया। इस एकीकरण से एलएलपी फार्मों की फाइलिंग तथा अनुमोदन एमसीए–21 पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है और पक्षकार एलएलपी फार्मों की फाइलिंग जिसमें क्रेडिट कार्ड भुगतान के अतिरिक्त ऑनलाइन भुगतान अथवा नामित बैकों से इंटरनेट बैकिंग का उपयोग शामिल है, के लिए एमसीए–21 की सभी मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

4.10 इस अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं / परिपत्र जारी किए गए थे:

(i) दिनांक 15.01.2016 का परिपत्र संख्या–2 यह स्पष्ट करते हुए जारी किया गया था कि हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या इसके कर्ता एलएलपी भागीदार या / नामित भागीदार नहीं बन सकते हैं।

(ii) दिनांक 31.05.2016 का सामान्य परिपत्र संख्या 07 / 2016 अतिरिक्त शुल्क में छूट देने और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा ई–प्ररूपों की फाइलिंग और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत सीमित देयता भागीदारियों द्वारा वार्षिक विवरणी (प्ररूप–11) दायर करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में जारी किया गया था।

(iii) दिनांक 13.04.2016 की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 418(अ) जारी की गई थी जिसके द्वारा फर्मों को सीमित देयता भागीदारी में बदलने के लिए रजिस्ट्रार को सूचित करने हेतु सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 33 और प्ररूप–14 में संशोधन किया गया है।

(iv) दिनांक 10.06.2016 की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 593(अ) जारी की गई थी और इस अधिसूचना के माध्यम से किसी एलएलपी में किसी कारपोरेट निकाय के नामित से संबंधित विवरण शामिल करने हेतु एलएलपी प्ररूप संख्या 2, 2क, 3, 4, 4क और 11 में संशोधन किए गए।

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)

4.11 दिनांक 31.12.2016 के अनुसार देश में 79,586 सीमित देयता भागीदारियां पंजीकृत की गईं और उनमें से 77,895 सीमित देयता भागीदारियां सक्रिय थीं। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक 26,977 सीमित देयता भागीदारियां निगमित की गईं।

*****

अध्याय – V

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और अन्य कानून

I. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

5.1.1 प्रतिस्पर्धा अधिनियम के निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण घटक है जो एक–दूसरे को सुदृढ़ करते हैः

(i) गुटबंदी जैसे प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का निषेध जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रतिबाधित करते हैं और वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन व वितरण सीमित करके तथा सामान्य से अधिक मूल्य निर्धारित करके उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाते हैं;

(ii) प्रभुत्वपूर्ण फर्म के अनुचित व्यवहार का निषेध जो अपनी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति से बाजार को प्रतिबंधित कर सकते हैं और अनुचित व भेदभावपूर्ण शर्तें रख सकते हैं;

(iii) प्रतिस्पर्धी बाजारों की सुरक्षा के लिए बड़े निगमों के संयोजन (नों) का नियमन; तथा

(iv) प्रतिस्पर्धा–समर्थन को अनिवार्य करना।

5.1.2 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के गठन का प्रावधान है जिसमें एक अध्यक्ष और न्यूनतम दो तथा अधिकतम छः सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई व उनके निपटान के लिए तथा आयोग के निर्णय के परिणामस्वरूप मिलने वाले हरजाने के दावों का निर्णय करने के लिए प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट) की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन मार्च, 2009 में किया गया।

5.1.3 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन (दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार) इस प्रकार हैः

श्री देवेंद्र कुमार सीकरी	–	अध्यक्ष
श्री एस.एल.बुनकर	–	सदस्य
श्री सुधीर मित्तल	–	सदस्य
श्री ऑगस्टाइन पीटर	–	सदस्य
श्री यू.सी.नाहटा	–	सदस्य
श्री जी.पी. मित्तल	–	सदस्य

आयोग के कार्यकलाप

दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 की अवधि के दौरान सीसीआई द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क. प्रवर्तन कार्यकलाप

5.2.1 आयोग को दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 की अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) (ख) के तहत 5 संदर्भ मामलों के अतिरिक्त धारा 19(1) (क) के तहत सूचना के आधार पर 98 मामले प्राप्त हुए। आयोग ने अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत 25 मामलों में महानिदेशक द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। इस अवधि के दौरान, आयोग ने सभी तथ्य और सबूतों पर विचार करने के बाद अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत 55 मामलों को बंद करने का निर्णय भी लिया है।

5.2.2 दिनांक 20.05.2009 से 30.11.2016 तक, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19(1) के तहत कुल 846 मामले प्राप्त हुए। इनमें से 364 मामले जांच के लिए महानिदेशक, सीसीआई को सौंप दिए गए। इन मामलों में से महानिदेशक, सीसीआई ने 231 मामलों की जांच रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने 616 मामलों का निपटान किया है।

ख. संयोजन

5.2.3 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) में संयोजन (विलयन और अधिग्रहण) के नियमन संबंधी प्रावधानों को दिनांक 4.03.2011 (दिनांक 01.06.2011 को लागू होने वाले) को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया

गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत दिए गए अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 11.05.2011 को "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन संबंधी व्यापार संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) नियमन 2011 (इसके बाद संयोजन नियमन कहा जाएगा) को अधिसूचित किया। इन नियमनों को दिनांक 23.02.2012, 04.4.2013, 28.03.2014, 01.07.2015 और 07.01.2016 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया।

5.2.4 आयोग को दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) (जिसमें धारा 20 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त नोटिस शामिल है) के तहत 99 नोटिस प्राप्त हुए। आयोग ने इस अवधि के दौरान 92 नोटिसों में अंतिम निर्णय पारित किया है।

5.2.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2016 की अवधि के दौरान आयोग को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के तहत एक (1) फाइलिंग प्राप्त हुई। आयोग ने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस मामले को नोट किया है।

ग. बाजार अध्ययन और अन्य पहल

5.2.6 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 49 की उप धारा 3 के तहत अधिदेश के अनुसरण में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) सेमिनार आयोजित करता है और विशेषज्ञों के साथ बातचीत भी करता है और समय–समय पर विभिन्न अर्थव्यवस्था संबंधी वैचारिक मुद्दों पर पक्षकारों द्वारा आयोजित विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग भी लेता है।

5.2.7 आयोग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि में भाग लेता है और अंतराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित करता है। आयोग अप्रैल/मई, 2018 में नई दिल्ली में अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (आईसीएन) वार्षिक सम्मेलन आयोजित करेगा।

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण

5.3.1 प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक अर्धन्यायिक निकाय है। इस अधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय में कार्यरत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कार्यरत/सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की अर्हता रखने वाला व्यक्ति होता है। इसके सदस्य समाजार्थिक क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्ति हैं।

5.3.2 प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरूद्ध की गई अपीलों पर निर्णय लेता है और आयोग अथवा अधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न मुआवजे के दावों पर भी निर्णय लेता है।

5.3.3 प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री जी.एस.सिंघवी हैं, जो भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और भारत सरकार के पूर्व वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर हैं और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अनिता कपूर इस अधिकरण के सदस्य हैं।

5.3.4 भारत सरकार ने पूर्व एमआरटीपी आयोग के विघटन के पश्चात् 14 अक्टूबर, 2009 के अध्यादेश द्वारा तत्कालीन एमआरटीपी आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई और निपटान की शक्ति कॉम्पैट को प्रदान की है। इसके पश्चात प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 66(3) और 66(5) के अनुसरण में तत्कालीन एमआरटीपी आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले काम्पैट द्वारा देखे जा रहे हैं। नवंबर, 2016 के अंत तक अधिकरण को अंतरित किए गए 1825 मामलों में से 1820 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 5 मामले लंबित हैं।

5.3.5 इस अपील अधिकरण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णयों के विरूद्ध अब तक 511 अपीलें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 458 अपीलों का निपटान किया गया है और 30 नवंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार अधिकरण में 53 अपीलें अधिकरण के निर्णयाधीन हैं।

II. अन्य कानून

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

5.4.1 चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसाय को विनियमित करने तथा इस उद्देश्य से एक संस्थान स्थापित करने के लिए

वर्ष 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम बनाया गया। तद्नुसार, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जुलाई, 1949 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की स्थापना की गई।

5.4.2 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करना, परीक्षा का आयोजन और नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना;

(ii) व्यवसाय की प्रैक्टिस के लिए अर्हता प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा उसका प्रकाशन;

(iii) व्यवसाय के विकास के लिए कार्यकलाप चलाना; और

(iv) सदस्यों की व्यावसायिक अर्हताओं के स्तर एवं मानक का विनियमन एवं अनुरक्षण करना है। संस्थान संपूर्ण देश में परीक्षाएं आयोजित करता है, और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि विद्यार्थी इस व्यवसाय संबंधी परीक्षा को पास कर सकें।

5.4.3 संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन इसकी परिषद द्वारा किया जाता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे गए कार्यों का भी निर्वहन करती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 32 व्यक्ति होते हैं और 8 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

5.5.1 लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम को वर्ष 1959 में लागत एवं संकर्म लेखाकार व्यवसाय को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया और इस उद्देश्य हेतु लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान को तदनुसार मई, 1959 में स्थापित किया गया। बाद में इस संस्थान के नाम को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान में बदल दिया गया।

5.5.2 अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद को सौंपी गयी है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित की जाती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 15 और केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत अधिकतम 5 व्यक्ति शामिल हैं।

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

5.6.1 कंपनी सचिव व्यवसाय को विनियमित तथा विकसित करने और इस उद्देश्य से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना करने के लिए वर्ष 1980 में कंपनी सचिव अधिनियम बनाया गया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना जनवरी, 1981 में की गई।

5.6.2 कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अतंर्गत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का दायित्व भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद, जिसका गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया जाता है, में निहित है। उक्त परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 15 व्यक्ति तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामित अधिकतम 5 व्यक्ति होते हैं।

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

5.7 वर्ष 1860 में अधिनियमित सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम में साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटियों के पंजीकरण का प्रावधान है, ताकि ऐसी सोसाइटियों की कानूनी स्थिति को बेहतर किया जा सके। इस अधिनियम के तहत उपयोगी ज्ञान प्रसार, साहित्य, विज्ञान, या ललितकला को बढ़ावा देने या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित सोसाइटियों को अपने संस्थान के संगम ज्ञापन (एमओए) को अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों के समक्ष फाइल करके पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 समस्त भारत में लागू है जब तक कि इसे संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा अलग से संशोधित अथवा निरस्त न किया जाए। अनेक राज्यों ने अपनी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया है और यह अधिनियम राज्यों के संबंधित क्षेत्राधिकार में यथासंशोधित

रूप में लागू है। इन संशोधनों में संबंधित राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सोसाइटियों का पंजीकरण शामिल है।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

5.8 भागीदारों द्वारा एक दूसरे के साथ तथा अन्य पक्ष के साथ आपसी भागीदारी के स्वरूप का प्रावधान करने के अलावा भागीदारियों से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के उद्देश्य से वर्ष 1932 में भारतीय भागीदारी अधिनियम अधिनियमित किया गया। अधिनियम में इस उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रारों के पास फर्मों के पंजीकरण का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत आयकर अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित आयकर अधिकारियों के पास फर्मों के पंजीकरण के संबंध में अलग से उपबंध हैं।

कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

5.9 कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951 में बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम या किसी अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी या कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद को अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धर्मार्थ उद्देश्य से स्थापित किसी निधि में दान कर सकती है।

****

अध्याय - VI
परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजना

6.1.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) पंजीकरण, निगमन, रजिस्ट्री और अन्य अनुपालन संबंधी सेवाओं सहित समग्र सेवा वितरण के लिए 'एमसीए21' नामक एक समग्र ई–गवर्नेंस परियोजना चलाई। यह परियोजना मार्च 2006 में पब्लिक–प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) में निर्माण, स्वामित्व, संचालन और अंतरण (बूट) मॉडल पर प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य "सरकारी सेवाओं की रूपरेखा और सुपुर्दगी में एक सेवान्मुखी दृष्टिकोण अपनाना है।" यह परियोजना सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में एक सेवा केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने और कंपनी और एलएलपी अधिनियम के प्रशासन के लिए मिशन मोड परियोजना के रूप में शुरू की गई और यह विशेष रूप से निम्नलिखित पर केन्द्रित हैं:–

(i) कंपनियों और एलएलपी का शीघ्र निगमन,

(ii) व्यवसाय करने में सुगमता प्रदान करना।

6.1.2 यह परियोजना सार्वजनिक सेवाओं की समय पर सुपुर्दगी, कंपनी अधिनियम और एलएलपी अधिनियम के प्रशासन में एक सेवा केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय, सभी प्रादेशिक निदेशकों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में कार्यान्वित की गई है। सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। फाइल किए गए दस्तावेज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

6.1.3 ई–सेवाओं की सहायता से, एमसीए21 प्रणाली हितधारकों को सुगमता, प्रयोग में आसानी और सुरक्षित पहुंच तथा अधिक गति और सुनिश्चितता के साथ सभी एमसीए21 सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इससे मंत्रालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, तीव्रता और कुशलता आई है। मार्च, 2016 में एसएपी आधारित प्लेटफार्म–एमसीए21 के संस्करण 2 को सफलता पूर्वक प्रारंभ करने के बाद यह परियोजना इसमें और अधिक सुधार करने के उद्देश्य के साथ एक नए चरण में प्रारंभ की गई।

6.1.4 यह मंत्रालय हितधारकों को शीघ्र और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली में सर्वोत्तम व्यवहार शुरू करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत एमसीए21 को एक सर्वाधिक सफल मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में पहचान मिली है। यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए परम्परागत कागज आधारित प्रणालियों को कागज रहित प्रणाली में बदलने के लिए एक मॉडल के रूप में माना जाता है। इस लगातार प्रयास में मंत्रालय ने वर्ष 2006 से कुछ प्रणाली आधारित सुधार और संशोधन लागू किए हैं। इसके दूसरे चरण में, मंत्रालय के मुख्यालय और आरओसी, क्षेत्रीय निदेशकों के सभी कार्यालयों में अद्यतन प्रोद्योगिकी के साथ हार्डवेयर उन्नयन किया जा चुका है। उन्नत नेटवर्क बैंडविड्थ सभी कार्यालयों को उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 बनने के परिणामस्वरूप एसएपी उपभोक्ता संबंध प्रबंधन (सीआरएम) और संबंधित कार्यप्रवाह के माध्यम से इस प्रणाली में आगे और सुधार किए जा रहे हैं।

अद्यतन परियोजना

इलेक्ट्रोनिक रूप से कंपनियों को निगमित करने के लिए एक सरलीकृत प्रफोर्मा, ई–प्ररूप (स्पाईस) प्रारंभ करना।

6.2.1 गवर्मेंट प्रोसेस री–इंजीनियरिंग (जीपीआर) के तहत एक नई पहल के रूप में मंत्रालय ने मानेसर (गुरुग्राम) में एक केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना की है। सीआरसी ने सभी कंपनियों के लिए एक ही स्थान पर 'नाम उपलब्धता' (आईएनसी–01) और 'निगमन' (आईएनसी–02/07/29) ई–प्ररूपों पर कार्रवाई करके मंत्रालय के रजिस्ट्री कार्यों को केन्द्रीकृत

किया है। इस पहल से कार्य में तीव्रता, नियमों को लागू करने में एकरूपता और अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले पक्षपात को कम किया जा सका है।

6.2.2 मंत्रालय ने गांधी जयंती, 2016 के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनियों के निगमन हेतु सरलीकृत प्रफोर्मा नामक एक ई–प्ररूप अधिसूचित किया है जिसका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ अंतराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित समय सीमा में निगमन संबंधित सेवाओं में तीव्रता लाना है। स्पाइस कंपनियों के निगमन के लिए विभिन्न कार्यक्षमताओं वाला एक सरलीकृत इलेक्ट्रोनिक प्ररूप है जो निगमन में सुगमता लाने के लिए तैयार किया गया है। वर्तमान आईएनसी–29 और आईएनसी–7 को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा और स्पाईस भारत में किसी कंपनी के निगमन हेतु उपलब्ध एकमात्र, सरलीकृत और बहुउद्देशीय प्ररूप होगा।

एमसीए21 वी2 को उन्नत करना

6.2.3 एमसीए21 का अगला संस्करण एमसीए21 वी2 है जिसका उद्देश्य कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सेवा उपलब्ध करवाने के लिए वर्तमान कुछ इंटरफेसों में सुधार करके प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाना है। एमसीए21 वी2 को 2 चरणों में उन्नत किया गया। एलएलपी मॉड्यूल के लिए पहला चरण दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 को चलाया गया और कंपनी मॉड्यूल के लिए दूसरा चरण 28 मार्च 2016 को शुरू किया गया। उन्नत प्रणाली उन उद्योग प्रमाणित तकनीकों से उद्योग जगत को लाभ उठाने के लिए एक नया आर्किटेक्चर प्लेटफार्म है जो विश्वभर में स्वीकृत हैं और डाटा संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तंत्र है तथा आसानी से खोजने हेतु निजीकरण एवं विशेष रूप से तैयार यूजर इंटरफेस से युक्त है।

परिचालन के आंकड़े

6.2.4 निम्नलिखित परिचालन आंकड़ों से प्रणालियों में स्थिरता, फाइलिंग में वृद्धि और कंपनियों द्वारा अनुपालन दर्शाई गई हैं।

तालिका 6.1

(दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016) की अवधि में फाइलिंग की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	प्रणाली के माध्यम से की गई कुल फाइलिंग	50,66,069
2	ऑनलाइन पंजीकृत कंपनियों की संख्या	93,740
3	जारी किए गए डीआईएन	2,61,303
4	कंपनी के रिकॉर्ड ऑनलाइन देखे गए	13,10,737
5	दायर तुलन पत्रों की संख्या 598015 (AOC 4) + 41601(AOC 4 XBRL)	6,39,616
6	दायर वार्षिक विवरणियों की संख्या	6,19,663
7	एक दिन में (29.11.2016 को) दायर किए गए दस्तावेजों की अधिकतम संख्या	1,04,578
8	एकत्र किए गए ई स्टांप शुल्क की राशि (रूपए)	2,56,73,20,524
9	डीएससी के साथ पंजीकृत प्राधिकृत बैंक कर्मियों और व्यवसायिकों की संख्या	74,339
10	पोर्टल पर पंजीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या	10,54,403

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

6.3 मंत्रालय ने मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर एक उप साइट शुरू की गई है जहां कंपनियां उनके पास पड़े असंदत्त और अदावात राशि का निवेशक–वार ब्यौरा फाइल कर रही हैं। दिनांक 31 दिसंबर, 2016 तक 5543 कंपनियों के 773765 रुपए की कुल राशि सहित अपने आंकड़े अपलोड किए हैं। इसका उद्देश्य निवेशकों, विशेषकर छोटे निवेशकों को ऐसी राशि का पता लगाने और सूचना प्राप्त करने और सात वर्ष की अवधि समाप्त होने के पहले संबंधित कंपनियों से उसका दावा करने में मदद करना है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कानून

6.4.1 भारत में कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अनिवार्य किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों और अधिनियम की अनुसूची–VII में सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों का उल्लेख है। धारा–135 और संशोधित अनुसूची–VII और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 दिनांक 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किए गए थे और 01 अप्रैल, 2014 को लागू हुए।

6.4.2 कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 और अधिनियम की अनुसूची–VII में कानून के तहत सीएसआर प्रावधानों को लागू करने हेतु कंपनियों को सुविधा देने के लिए समय–समय पर संशोधन किए गए हैं। किए गए संशोधन निम्नानुसार हैं:–

कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में किए गए संशोधन

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	जारी करने की तारीख	विषय
1.	सा.का.नि. 644(अ)	12.09.2014	नियम 4(6) में प्रशासनिक ऊपरी खर्च में 5% की अधिकतम सीमा से संबंधित संशोधन
2.	सा.का.नि. 43(अ)	19.01.2015	नियम 4(2) में कार्यान्वयन एजेंसियों से संबंधित संशोधन
3.	सा.का.नि. 540(अ)	23.05.2016	नियम 4(2) में कार्यान्वयन एजेंसियों से संबंधित संशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII में संशोधन

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	जारी करने की तारीख	विषय
1.	सा.का.नि. 261(अ)	31 मार्च, 2014	अनुसूची की मद संख्या (i) में निवारक स्वास्थ्य देखरेख सहित स्वास्थ्य देखभाल शामिल किया गया
2.	सा.का.नि. 568(अ)	6 अगस्त, 2014	अनुसूची में मद (xi) के रूप में स्लम क्षेत्र विकास को शामिल किया गया
3.	सा.का.नि. 741(अ)	24 अक्तूबर, 2014	अनुसूची में मद (i) और (iv) में क्रमशः (क) स्वच्छ भारत कोष में अंशदान और (ख) निर्मल गंगा कोष में अंशदान शामिल किया गया

6.4.3 मंत्रालय ने इस अधिनियम के तहत कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यक्रमों/परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु निम्नलिखित सामान्य परिपत्र जारी किए :

क्रम संख्या	परिपत्र संख्या	जारी करने की तारीख	विवरण
1.	21/2014	18.06.2014	अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूची **VII** की उदार व्याख्या शामिल की गई
2.	36/2014	17.09.2014	सीएसआर नीति नियम, 2014 के नियम 4(6) से संबंधित स्पष्टीकरण
3.	01/2016	12.01.2016	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
4.	05/2016	16.05.2016	सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 से संबंधित

राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार प्रारंभ करना

6.5.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसआर पर उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) की आठवीं रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्रवाई रूप में वार्षिक 'राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार' प्रारंभ किए गए। इस पुरस्कार का उद्देश्य अधिनियम की सच्ची भावना में कंपनियों को अपने सीएसआर कार्यक्रमों/परियोजनाओं/गतिविधियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार का आयोजन करने हेतु सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2016 के समान्य परिपत्र संख्या 11/2016 के माध्यम से एक संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति की पहली और दूसरी बैठकें क्रमशः 5 अक्तूबर, 2016 और 22 नवंबर, 2016 को की गई। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय को वर्ष 2016–2017 के लिए पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 2.56 करोड़ रुपए का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय

6.5.2 वर्ष 2014–15 में समेकित किए गए 7334 कंपनियों के सीएसआर व्यय का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि वर्ष 2014–15 के दौरान 142 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 2997 प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों ने मिलकर 8803 करोड़ रुपए खर्च किए, जो **तालिका 6.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.2

वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर व्यय

क्रम संख्या	कंपनी का प्रकार	कुल कंपनियां	सीएसआर व्यय वाली कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय नहीं करने वाली कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय करोड़ रु. में (2014-15)
1.	पीएसयू	226	142	84	2497
2.	प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां	7108	2997	4111	6306
कुल		7334	3139	4195	8803

तालिका 6.3

विकास क्षेत्र–वार सीएसआर व्यय (वित्त वर्ष 2014–15)

क्रम संख्या	अनुसूची-VII में विषय	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	स्वास्थ्य/भूखमरी निवारण, गरीबी और कुपोषण/डब्ल्यूएएसएच	2245.58
2.	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	2728.11
3.	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/असमानता हटाना	325.96
4.	पर्यावरण और पशु कल्याण	1212.63
5.	विरासत कला और संस्कृति	157.20
6.	खेल विकास	159.64
7.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	192.24
8.	ग्रामीण विकास	1016.98
9.	स्लम विकास	122.75
10.	स्वच्छ भारत कोष	121.47
11.	निर्मल गंगा कोष	19.25
12.	अन्य कोई कोष	36.31
13.	अनुसूची-VII के अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूवेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च कोष में योगदान आदि)	305.50
14.	अन्य (*)	159.38
कुल		**8803.00**

*कुल 159.38 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया क्योंकि कुछ कंपनियों ने अपने वास्तविक सीएसआर व्यय के लिए किए गए समस्त सीएसआर कार्यकलापों का उल्लेख नहीं किया था।

वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सीएसआर व्यय

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रूपए में)
1	महाराष्ट्र	1101.71
2	गुजरात	291.65
3	तमिलनाडु	446.98
4	कर्नाटक	363.05
5	राजस्थान	251.98

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रूपए में)
6	उत्तर प्रदेश	123.14
7	आंध्र प्रदेश	167.85
8	पश्चिम बंगाल	243.32
9	मध्य प्रदेश	176.41
10	दिल्ली	139.75
11	हरियाणा	107.62
12	ओडिसा	214.31
13	जम्मू व कश्मीर	74.60
14	छत्तीसगढ़	275.37
15	तेलंगाना	88.53
16	उत्तराखंड	24.53
17	पंजाब	23.71
18	असम	106.84
19	झारखंड	86.87
20	बिहार	15.08
21	केरल	57.25
22	हिमाचल प्रदेश	5.29
23	गोवा	24.29
24	मणिपुर	1.35
25	अरूणाचल प्रदेश	10.45
26	चंडीगढ़	0.69
27	मेघालय	1.80
28	सिक्किम	0.41
29	त्रिपुरा	0.34
30	नागालैंड	0.08
31	पुडुचेरी	1.10
32	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.81
33	दादर एवं नागर हवेली	1.83
34	दमन एवं दीव	20.04
35	लक्ष्यद्वीप	0.59
36	मिजोरम	0.16
37	अन्य*	4353.17
कुल		**8803.00**

*कंपनियों ने अलग से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए हैं जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)

6.6.1 कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) वित्तीय वर्ष 2015–16 में मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम है। इसमें मंत्रालय में डाटा माइनिंग एवं विश्लेषणात्मक सुविधा के सृजन पर विचार किया गया है ताकि कारपोरेट सेक्टर डाटा का व्यवस्थित तरीके से प्रसार किया जा सके। यह व्यवहार प्रणाली को डाटा वेयरहाउस प्रणाली में बदलने हेतु एमसीए21 द्वारा डिपाजिटरी को अग्रिम कड़ी प्रदान करता है। सीडीएम के उद्देश्यों में शामिल है (क) साझा करने योग्य जानकारी का इकाई स्तर प्ररूप और तालिका प्ररूपों में प्रसार करना, (ख) अनुकूलित सूचना को नीति निर्माण और एमसीए के विनियमन उद्देश्यों और साथ ही साथ अन्य सरकारी विभागों के साथ साझा करना और (ग) मंत्रालय की आंतरिक एवं संस्थागत क्षमताओं को कारपोरेट डाटा माइनिंग एवं सूचना प्रबंधन को बढाना जिससे निर्णय क्षमता में सहायता मिले।

6.6.2 सीडीएम प्रणाली के अंतर्गत 2006–07 से 2014–15 तक कंपनियों द्वारा वार्षिक सांविधिक फाइलिंग (ई प्ररूप) की गई को डाटा माइनिंग एवं विश्लेषण के लिए प्रथम चरण में लिया गया है। इस परियोजना में भारतीय कारपोरेट सैक्टर निष्पादन पर विभिन्न सांख्यिकी प्रतिवेदन जैसे कि सीरीज डाटा, क्रास सेक्शन डाटा, पैनल डाटा इत्यादि तैयार करने पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अनुपालन एवं नियमन पर निगरानी की सुविधा की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान

6.7.1. राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान की स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीसीआई), और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी, तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (अब भारतीय लागत लेखाकार संस्थान), राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) तथा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को भी एनएफसीजी में सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

6.7.2. प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य सुस्थायी संपदा सृजन के प्रमुख कारक के रूप में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के मध्य अच्छे कारपोरेट शासन को बढ़ावा देना है। एनएफसीजी का अधिशासी परिषद कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में निर्णय निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर कार्य करता है।

6.7.3. एनएफसीजी के तत्वाधान में संचालित कार्यकलापों में कारपोरेट शासन, भारतीय कंपनियों में कारपोरेट शासन पर अनुसंधान कार्यकलाप, आदि से संबंधित विषयों पर सेमीनार और सम्मेलन शामिल हैं। एनएफसीजी राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट शासन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में भी कार्य करता है और दुनिया भर के समान संगठनों के संपर्क में रहता है।

6.7.4. वर्ष 2016–17 के दौरान (31.12.2016 तक) एनएफसीजी ने 12 सेमिनारों/कांफ्रेस/कार्यशालाएं आयोजित की है और 5 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए हैं।

सतर्कता

6.8 मंत्रालय के सतर्कता विंग का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के मुख्य कार्य विभिन्न स्रोतों के जरिए प्राप्त शिकायतों की जांच, उचित जांच के प्रारंभ, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की शुरूआत एवं उन पर कार्रवाई, निवारक सतर्कता के भाग के रूप में संवेदनशील पदों की पहचान, संपत्ति विवरण का अनुरक्षण और सीसीएस आचरण नियमों के अधीन आवश्यक स्वीकृतियां जारी करने, वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) से संबंधित मामले और सतर्कता निकासी और लघु और बड़ी शास्तियों और अखंडता प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित है। यह विद्यमान प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने हेतु प्रयास करता है जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश को

न्यूनतम किया जाए और सरकारी कर्मचारियों के मध्य ईमानदारी सुनिश्चित की जा सके। सतर्कता विंग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ सतर्कता से संबंधित मामलों पर भी समन्वय करता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 "अखंडता को बढावा देने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जनता की भागीदारी" विषय के साथ 31 अक्तूबर, 2016 से 5 नवंबर, 2016 तक मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं स्टाफ के मध्य जागरूकता सृजन हेतु मनाया गया। मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वेबसाइट पर अखंडता शपथ के लिए हाइपरलिंक जनता/नागरिकों को प्रदान किया गया था।

राजभाषा

6.9 कारपोरेट कार्य मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्यालयीन कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुछ प्रमुख कार्यकलाप और पहल–प्रयास निम्नलिखित हैः

(i) संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

(ii) मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा 01 से 15 सितंबर, 2016 तक आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी भाषी और हिंदीतर अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पृथक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण 27 अक्तूबर, 2016 को आयोजित किया गया जिसमें विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

(iii) वर्ष 2016–17 (30.11.2016 तक) के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की गईं जिनमें उनकी सीट पर जाकर उनके कम्प्यूटरों पर फोनेटिक फांट सक्रिय करने और हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।

(iv) मंत्रालय के 2 अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों का हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने और उन्हें राजभाषा नीति के प्रावधानों से अवगत कराने हेतु निरीक्षण किया गया। मंत्रालय (मुख्यालय) के 8 अनुभागों का भी निरीक्षण समीक्षाधीन अवधि के दौरान किया गया।

(v) वर्ष 2016–17 (30.11.2016 तक) के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने मंत्रालय के 06 अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों का निरीक्षण किया।

अवसंरचना अनुभाग

6.10 01.01.2016 से 30.11.2016 की अवधि के दौरान अवसंरचना अनुभाग ने निम्नलिखित कार्य किये :–

क. ब्लॉक 3 सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली एनसीएलटी परिसर का नवीकरण;

ख. एनसीएलटी न्यायपीठ, कोलकाता को स्थापित करने के लिए स्थान का नवीकरण;

ग. एनसीएलटी न्यायपीठ, चंडीगढ के परिसर का नवीकरण;

घ. एनसीएलटी न्यायपीठ, मुबंई के लिए किराए पर लिए गए परिसर का नवीकरण;

ड़. एनसीएलटी न्यायपीठ, गुवाहाटी के लिए किराए पर लिए गए परिसर का नवीकरण;

च. एनसीएलटी न्यायपीठ, अहमदाबाद के लिए किराए पर लिए परिसर का नवीकरण;

छ. एनसीएलटी न्यायपीठ, इलाहाबाद हेतु संगम विहार इलाहबाद में लिए गए किराए के परिसर का नवीकरण;

ज. आई बी बी आई की स्थापना हेतु एनडीएमसी से मयूर भवन, नई दिल्ली परिसर को किराए पर लेना तथा इसे नवीकरण के लिए एनबीसीसी लिमिटेड को सौंपा गया है और इसकी दिनांक 28.02.2017 तक पूरा होने की संभावना हैं।

झ. भारतीय जीवन बीमा निगम से जीवन विहार, संसद मार्ग, नई दिल्ली में परिसर किराए पर लेना;

ञ. मंत्रालय के आरएंडए डिवीजन के लिए लोकनायक भवन, नई दिल्ली के 8वें तल का नवीकरण;

ट. एनसीएलटी के लिए पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ परिसर लोधी रोड, नई दिल्ली–3 के तीसरे तल के बी–1, बी–3 और बी–4 विंग का नवीकरण ;

ठ. अहमदाबाद और कोलकाता में कारपोरेट भवन के निर्माण को क्रमशः एनबीसीसी लिमिटेड और सीपीडब्ल्यूडी को सौंपना।

नागरिक / ग्राहक चार्टर

6.11.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय नियामक मंत्रालय होने के कारण इसके नियामक कार्यों को करने के लिए नियमित रूप से जनता से संपर्क होता है जो इसके विभिन्न हितधारकों को इसकी सेवाएं देने के रूप में होती हैं। मंत्रालय ने एक विस्तृत नागरिक/ग्राहक चार्टर अपनी वेबसाइट पर डाला है। मंत्रालय ने अपने नागरिक चार्टर में सेवाओं/संव्यवहारों/निहित प्रक्रियाओं अपेक्षित दस्तावेजों और लागू शुल्कों की एक विस्तृत सूची दी है। इसमें प्रत्येक सेवा/संव्यवहार के सामने निष्पादन/समय सीमा का मानदंड भी निर्धारित किया गया है। यह प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–V** के रूप में संलग्न है।

6.11.2 यदि कोई सेवाओं के निर्धारित मानकों में कमी पाता है तो वह मंत्रालय के लोक शिकायत अधिकारियों को सूचित कर सकता है जो **तालिका 6.4** में दिया गया है।

तालिका 6.4
लोक शिकायत अधिकारी

क्र.सं.	शिकायत/कंप्लेंट की प्रकृति	लोक शिकायत अधिकारी का नाम व पता	दूरभाष	ईमेल	मोबाइल नंबर
1	निवेशक शिकायत	श्री के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव कमरा सं. 504 ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	011-23074056 23384380 (फैक्स)	kvr.murthy@gov.in	9560022844
2	अन्य शिकायतें/कंप्लेंट	श्री ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव, कमरा सं. 513 बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	011-23389785 23074212 (फैक्स)	asholi.chalai@nic.in	9868140630
3	एमसीए21 से संबंधित शिकायतें/कंप्लेंट	श्री आशीष कुशवाहा, निदेशक, कमरा सं. 514 ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	011-23070954	ashish.kushwaha@mca.gov.in	9869062255

पोर्टल पर शिकायत दर्ज करेः http://pgportal-cob-in

अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व

6.12 मंत्रालय में क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों सहित अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व, नीचे **तालिका 6.5** में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.5

मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व (31 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार)

समूह	पदस्थापित			
	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	267	38	25	47
ख	482	85	32	71
ग	456	104	49	65
योग	1205	227	106	183

निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ

6.13.1. मंत्रालय को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 01.01.2016 से 31.12.2016 की तक अवधि के दौरान निवेशकों / जमाकर्ताओं से 9429 शिकायतें प्राप्त हुई थी और इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष से संबंधित 1538 शिकायतें भी लंबित थीं। कुल 10967 शिकायतों में से 10183 शिकायतों का समाधान किया गया और 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार 784 शिकायतें समाधान हेतु कंपनी रजिस्ट्रारों के पास लंबित थीं।

6.13.2 इसके अतिरिक्त, आईजीएम अनुभाग को सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग, पूंजी बाजार प्रभाग), राजस्व विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इरडा, लोक उद्यम विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नागरिक उड्यन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, आदि जैसे अन्य अभिकरणों से संबंधित 262 ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त हुईं। उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित एजेंसियों को अग्रेषित किया गया था।

6.13.3 मानक प्रचालन प्रक्रिया जो कि 01.01.2016 को तैयार की गई थी, पूर्णतयाः कार्यान्वित है जिससे सभी शिकायतें / कंप्लेंट जो कि व्यक्तिगत / ईमेल के रूप में प्राप्त होती हैं, को एमसीए21 प्रणाली में अपलोड किया जाता है और उसे सेवा अनुरोध संख्या सृजन के द्वारा ऑनलाइन कार्यमय के रूप में बदला जाता है। इसके बाद इन शिकायतों को ऑनलाइन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाता है।

6.13.4 मानक उत्तर / टेंपलेटों को विकसित कर मंत्रालय के सभी संबंधित अनुभागो को कृत कार्रवाई / शिकायतों / कंप्लेंट के निपटान की सूचना हितधारकों को भेजने हेतु परिचालित किया गया है जिससे अस्पष्टता से बचा जा सके।

6.13.5 माननीय प्रधानमंत्री के निदेशों के अनुसरण में शिकायतों के त्वरित और गुणवत्ता निपटान को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है।

सूचना का अधिकार

6.14.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसरण में विभिन्न अनुभागों/प्रभागों/प्रकोष्ठों द्वारा किए जा रहे विषयवस्तु का संक्षिप्त विवरण के साथ अद्यतन सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।

6.14.2 इसी प्रकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अधीन अन्य लोक प्राधिकारियों अर्थात राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा पूर्व सक्रिय प्रकटीकरण के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

6.14.3 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार (01.01.2016 से 30.11.2016) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और अपीलों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:–

तालिका 6.6

आरटीआई आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे (30.11.2016 के अनुसार)

1.	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	2807
2.	अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित	1380
3.	निर्णय जहां सूचना अनुरोध अस्वीकार किए गए	43
4.	प्राप्त अपीलों की कुल संख्या	126
5.	उन मामलों की संख्या जिनमें इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई	शून्य
6.	उन मामलों की संख्या जहां सीआईसी ने जुर्माना लगाया	शून्य

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का बजट 2016–17 (31 दिसंबर, 2016 तक)

6.15 मंत्रालय की राजस्व प्राप्तियों और व्यय (योजना और गैर–योजना) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं (**तालिका 6.7** और **तालिका 6.8**)

तालिका 6.7

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु में)

2013-14	2014-15	2015-16	2016-17(31.12.2016 के अनुसार)
1602.50	2268.18	1871.33	1334.81

तालिका 6.8
व्यय (योजना और गैर–योजना)

(करोड़ रु. में)

	वास्तविक व्यय 2015-16	**बजट अनुमान 2016-17**	**संशोधित अनुमान* 2016-17**	**वास्तविक व्यय 2016-17 (31 दिसंबर, 2016 तक अंतरिम)**
गैर-योजना	384.83	324.43	369.57	240.86
योजना	19.55	20.00	15.00	11.38
योग	**404.38**	**344.43**	**384.57**	**252.24**

*****

अनुलग्नक
(I to V)

संगठनात्मक चार्ट

श्री अरूण जेटली
मंत्री

श्री अर्जुन राम मेघवाल
राज्य मंत्री

श्री तपन राय
सचिव

डा. नवरंग सैनी महानिदेशक कारपोरेट कार्य	श्री प्रीतम सिंह अपर सचिव

	संयुक्त सचिव (के) श्री के.वी.आर. मूर्ति	संयुक्त सचिव (एसी) श्री अशोली चलाई	संयुक्त सचिव(जी) जी.के. सिंह	संयुक्त सचिव (बी) श्री अमरदीप सिंह भाटिया	आर्थिक सलाहकार श्रीमती शिवानी स्वैन	सलाहकार (लागत) वी गीथा
संयु.नि(विधि) आर.के. तिवारी	निदे.(एके)–आशीष कुशवाहा	उ.स.(जेएसए)–जे एस औधखासी	निदेशक(एनसी)–नवनीत चौहान	निदे.(आरटी)–राकेश त्यागी	निदे.(पीएस)–पंकज श्रीवास्तव	निदेशक – के. के. महावर
संयु.नि(एसएस) – संजय सूद	उ.स.(बीपीपी)–बी.पी.पंत	सं.नि.(रा.भा.)–डा. आर रमेश आर्य	उ.स.(जेएसए)–जेएस औधखासी	उ.स.(बीपीपी)–बी पी पंत	स.नि.(पीसीजी)–पी.सी. गुरवय्या	निदेशक – मनमोहन कौर
संयु.नि(एमएमजे)–एम.एम. जुनैजा	उ.स.(जीवी)–जी. वैधीश्वरण	अ.स.(एपी)–अनिल प्राशर	उ.स.(वीके)–विवेक कुमार	सं.नि.(एनकेडी)–एन के दुआ	उ.नि.(एसआर)–सीमा रथ	स.नि. – अरविंद कुमार
संयु.नि(एसबी)–स्वाधीन बरूआ	अ.स.(आरके)–राकेश कुमार	अ.स.(एके)–अखिलेश कुमार सिंह	सं.नि.(सीएसजी)–सी एस गोविंदराजन	सं.नि.(एमआरबी)–एम आर भट्ट	उ.नि.(यूके)–ऊषा कुमार	स.नि. – सौरभ बंसल
संयु.नि.(यूकेएस)–यू.के. साहू	अ.स.(एसकेवी)–एस.के.वशिष्ठ	स.नि.(रा.भा.)–राजीव माथुर	अ.स.(आरवी)–रवि वजीरानी	सं.नि.(सीएसजी)–सीएस गोविंद राजन	अ.स.(सीडीएम)–पूर्णिमा मलिक	
उ.नि.(ईएन)–ई. नागाचन्द्रन	अ.स.(पीएम)–पूर्णिमा मलिक	अ.अ.(सा)–एस एस मियां	अ.स.(एपी)–अनिल प्राशर	अ.स.(एबी)–अनिल भंडूला	स.नि.(आरएनएस)–आर.एन. सोरेथम	
उ.नि.(एमआडी)–एम आर दास	उ.नि.(एके)–अनिता क्लेर	अ.अ.(आरएंडआई)–एसएस मियां	अ.स.(एकेएश)–अखिलेश कुमार सिंह	अ.स.(आरएच)–रियाजुक हक	स.नि.(उ.स.)–दीपिका श्रीवास्तव	
उ.नि.(एचएस)–हिमांशु शेखर	उ.नि.(एसआरडी)–शशि राज दारा	अ.अ.(इंफ्रा)–आर राजाराम	अ.स.(वीए)–विनीत अब्राहम	उ.नि.(एसके)–सुधीर कपूर	स.नि.(डीएस)–दिव्या शर्मा	
उ.नि.(एटी)–अंशु टंडन	अ.स.(आरएच)–रियाजुल हक	अ.अ.(स)–परितोष भाटिया	अ.स.(एबी)–अनिल भंडूला	नि.(केएस)–कामना शर्मा	अ.अ.(आरएंडए)–सुषमा शर्मा	
अ.स.(एसजे)–शालिनी जुनैजा	स.नि.(एएस)–अन्नया सैकिया	अ.अ.(समन्वय)–परितोष भाटिया	स.नि.(सीएलVII)–गोपाल सिंह	उ.नि.(एमजी)–मोनिका गुप्ता	अ.अ.(सांख्यिकी)–सुषमा शर्मा	
सीएल II–एच. एन. हेडो	अ.अधि.(आईजीएम)–एस. पदमा राय	अ.अ. एवं डीडीओ–दीन दयाल सिंह	अ.अ.(प्रशा.I)–बिन्दु पिल्लै	स.नि.(केएमएस)–केएमएस, नारायण		
	अ.अधि.(आईसी)–एस. राजगोपाल		अ.अ.(प्रशा.II)–कल्लू राम मीणा	स.नि.(एबी)–अनिमेष बोस		
	अ.अधि.(पीआई)–एल. थंगराजन		अ.अ.(प्रशा.III)–एस.सी. नूनवाल	स.नि.(एसी)–शत्रुघन चौहान		
	अ.अधि(ई–ग्व)–केसी जोशी		अ.अ.(प्रशा.IV)–सूरजीत साहा	अ.अ.(वीआईजी)–एम. मुरली मोहन		
			अ.अ(सीएलVII)–समीक्षा लांबा			
			अ.अ(आईआईसीए)–एन.के.बजाज			

मुख्य सतर्कता अधिकारी	एकीकृत वित्त एंव लेखा विंग	बजट
मुख्य सतर्कता अधिकारीः श्री अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव	जेएसएंडएफएः सुश्री रीना सिंहा पुरी	जेएसएंडएफएः सुश्री रीना सिन्हा पुरी
वेब मास्टरः श्री आशीष कुशवाहा, निदेशक	सीसीएः श्री बिनोद कुमार	सीसीएः श्री बिनोद कुमार
कल्याण अधिकारीः श्री अनिल प्राशर, अवर सचिव	निदेशक(आईएफडी)ः श्रीमती सुषमा कटारिया	निदेशकः श्रीमती सुषमा कटारिया
	अ.स.(आईएफडी)ः श्री क्षितीश कुमार	अवर सचिवः श्री क्षितीश कुमार
	अ.अ.(आईएफडी)ः श्रीमती अन्नाकुंजू मैथ्यू	अ.अ.(बजट)ः श्री अमितेष राय

अधिसूचनाएं
अधिसूचना (01.01.2016 से 31.12.2016)

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
1	सा.का.नि.99(अ)	22.01.2016	कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2016
2	सा.का.नि.290(अ)	10.03.2016	कंपनी (शेयरपूंजी एवं लाभांश) संशोधन नियम, 2016
3	सा.का.नि.336(अ)	23.03.2016	कंपनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियम, 2016
4	सा.का.नि.358(अ)	29.03.2016	कंपनी (शेयरपूंजी एवं लाभांश) द्वितीय संशोधन नियम, 2016
5	सा.का.नि.365(अ)	30.03.2016	कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016
6	सा.का.नि364(अ)	30.03.2016	कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016
7	सा.का.नि397(अ)	04.04.2016	कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को एक्सबीआरएल में दाखिल करना) संशोधन नियम, 2016
8	सा.का.नि.404(अ)	06.04.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा 01 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग
9	सा.का.नि.556(अ)	26.4.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 396 – तेलंगाना राज्य का क्षेत्राधिकार
10	सा.का.नि.493(अ)	06.05.2016	कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2016
11	सा.का.नि.796(अ)	18.05.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 के अंतर्गत विशेष न्यायालय
12	सा.का.नि.795(अ)	18.05.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(29) धाराओं 435 से 438 और 440 का प्रवृत्त होना
13	सा.का.नि.563(अ)	31.05.2016	कंपनी (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) संशोधन नियम, 2016
14	का.आ.1936(अ)	01.06.2016	कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों या प्रक्रियाओं या मामलों को राष्ट्रीय विधि कंपनी अधिकरण को अंतरित करना

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
15	सा.का.नि.639(अ)	29.06.2016	कंपनी (जमाराशि की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2016
16	सा.का.नि.646(अ)	30.06.2016	कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016
17	सा.का.नि. 695(अ)	14.07.2016	कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2016
18	का.आ.2463(अ)	19.07.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 381 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
19	सा.का.नि.704(अ)	19.07.2016	कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) तृतीय संशोधन नियम, 2016
20	सा.का.नि.717(अ)	21.07.2016	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण नियम, 2016
21	सा.का.नि.716(अ)	21.07.2016	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016
22	का.आ.2554(अ)	27.07.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 के अंतर्गत विशेष न्यायालय
23.	सा.का.नि.742(अ)	27.07.2016	कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2016
24	सा.का.नि.743(अ)	27.07.2016	कंपनी (निगमन) तृतीय संशोधन नियम, 2016
25	सा.का.नि.791(अ)	12.08.2016	कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) चौथा संशोधन नियम, 2016
26	का.आ.2843(अ)	01.09.2016	विशेष न्यायालय को पदनामित करना
27	सा.का.नि.877(अ)	09.09.2016	कंपनी (मध्यस्थता और सुलह) नियम
28	का.आ.2922(अ)	12.09.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V में संशोधन के लिए अधिसूचना
29.	सा.का.नि.908(अ)	23.09.2016	कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2016
30	सा.का.नि.936(अ)	01.10.2016	कंपनी (निगमन) चौथा संशोधन नियम, 2016
31	का.आ.3118(अ)	03.10.2016	राष्ट्रीय लेखा मानक सलाहकार समिति
32	सा.का.नि.1049(अ)	07.11.2016	कंपनी (पंजीकरण और फीस) द्वितीय संशोधन नियम, 2016

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
33	का.आ.3464(अ)	17.11.2016	विशेष न्यायालयों को पदनामित करना
34	सा.का.नि.1075(अ)	17.11.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में संशोधन
35	का.आ.3677(अ)	07.12.2016	अधिसूचना दिनांक 7.12.2016 का प्रवृत्त करना
36.	का.आ.1119(अ)	07.12.2016	कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016
37	सा.का.नि.1127(अ)	09.12.2016	अनुसूची II में संशोधन से संबंधित अधिसूचना का शुद्धिपत्र
38	सा.का.नि.1134(अ)	14.12.2016	कंपनी (ठहराव, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016
39	सा.का.नि.1147(अ)	15.12.2016	एनसीएलटी (कंपनी की शेयरपूंजी में कटौती की प्रक्रिया) नियम, 2016
40	का.आ.4090(अ)	19.12.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन
41	सा.का.नि.1159(अ)	20.12.2016	एनसीएलटी (कंपनी की शेयरपूंजी में कटौती की प्रक्रिया) नियम, 2016
42	का.आ.4167(अ)	26.12.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 से 252 तक को प्रवृत्त किया जाना।
43	सा.का.नि.1174(अ)	26.12.2016	कंपनियों (कंपनी के रजिस्टर में से कंपनी का नाम हटाना) नियम, 2016
44	सा.का.नि.1184(अ)	29.12.2016	कंपनी (निगमन) पांचवां संशोधन नियम, 2016

*****

सामान्य परिपत्र
(01.01.2016 से 31.12.2016)

क्र. सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1	1/2016	12.01.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
2	2/2016	15.01.2016	क्या हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ)/इसका कर्ता सीमित दायित्व भागीदारी में (एलएलपी में भागीदार/पदनामित भागीदार (डीपी) बन सकता है।
3	3/2016	12.04.2016	कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न ई प्ररूपों की फाइलिंग के लिए अतिरिक्त फीस में छूट की अंतिम तिथि बढाना
4	4/2016	27.04.2016	कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के संबंध में स्पष्टीकरण
5	5/2016	16.05.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण
6	6/2016	16.05.2016	कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न ई प्ररूपों में अतिरिक्त फीस में छूट और अंतिम तिथि बढाना
7	7/2016	31.05.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा विभिन्न ई प्ररूप दायर करने में अतिरिक्त फीस में छूट और समय सीमा बढाना और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एलएलपी द्वारा (प्ररूप 11) में वार्षिक विवरणी दायर करने में छूट
8	8/2016	29.07.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एओसी 4, एओसी 4 (एक्सबीआरएल), एओसी 4 (सीएफएस और एमजीटी 7 को फाइल करने में अतिरिक्त फीस में छूट और अंतिम तिथि बढ़ाना
9	9/2016	03.08.2016	भारतीय कंपनियों द्वारा प्रवासी निवेशकों को रूपये बांड जारी करना – कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय III के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण
10	10/2016	07.09.2016	प्ररूप आईईपीएफ 1 फाइल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क में छूट

क्र. सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
11	11/2016	15.09.2016	कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार को आयोजित करने के लिए संचालन समिति का गठन
12	12/2016	27.10.2016	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एओसी 4, एओसी 4(एक्सबीआरएल), एओसी 4(सीएफएस) और एमजीटी 7 ई प्ररूपों को फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाना और अतिरिक्त शुल्क में छूट
13	13/2016	05.12.2016	कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आईईपीएफ प्राधिकरण को आफलाइन चालान दाखिल करने के संबंध में स्पष्टीकरण
14	14/2016	07.12.2016	जम्मू व कश्मीर राज्य में वार्षिक विवरणी 31.12.2016 तक फाईल करने में अतिरिक्त शुल्क में छूट
15	15/2016	07.12.2016	आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण की देय तारीख के संबंध में स्पष्टीकरण
16	16/2016	26.12.2016	कंपनियों के रजिस्टर में से कंपनी का नाम हटाना—एमसीए21 पोर्टल में प्ररूप एसटीएक्स की उपलब्धता के संबंध में स्पष्टीकरण

*****

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठों की सूची

क्र. सं.	न्यायपीठ का नाम	अवस्थिति	न्यायपीठ की श्रेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ	ब्लॉक सं. 3 भूतल, 6, 7 और 8 वां तल सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2) राजस्थान राज्य (3) हरियाणा राज्य
2.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली न्यायपीठ		
3.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अहमदाबाद न्याय पीठ	आनंद हाउस भूतल, प्रथम और द्वितीय तल, एसजी हाइवे, थालतेज अहमदाबाद–380054	(1) गुजरात राज्य (2) मध्यप्रदेश राज्य (3) दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र (4) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र
4.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद न्याय पीठ	9 वां तल, संगम प्लेस सिविल लाइन्स, इलाहाबाद–211001	(1) उत्तर प्रदेश राज्य (2) उत्तराखंड राज्य
5.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, बंगलुरू न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, 12वां तल, रहेजा टावर, एमजी रोड, बंगलुरू–560034	कर्नाटक राज्य
6.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ न्याय पीठ	भूतल, कारपोरेट भवन, सैक्टर 27बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160019	(1) हिमाचल प्रदेश राज्य (2) जम्मू–कश्मीर राज्य (3) पंजाब राज्य (4) चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र
7.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चैन्नई न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, यूटीआई बिल्डिंग, तीसरा तल, नं. 29 राजाई सलाई, चैन्नई–600001	(1) केरल राज्य (2) तमिलनाडु राज्य (3) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र (4) पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र

क्र. सं.	न्यायपीठ का नाम	अवस्थिति	न्यायपीठ की श्रेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, गुवाहाटी न्याय पीठ	चौथा तल, पृथ्वी प्लेनेट हनुमान मंदिर के पीछे, जीएस रोड, गुवाहटी—781007	(1) अरूणाचल प्रदेश राज्य (2) असम राज्य (3) मणिपुर राज्य (4) मिजोरम राज्य (5) मेघालय राज्य (6) नागालैंड राज्य (7) सिक्किम राज्य (8) त्रिपुरा राज्य
9.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, बंडलागुड़ा तट्टीअन्नारम गांव, हयात नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद— 500068	(1) आंध्र प्रदेश राज्य (2) तेलंगाना राज्य
10.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता न्याय पीठ	5 ऐस्प्लेनेड (पश्चिम) टाउनहाल भूतल और प्रथम तल, कोलकाता—700001	(1) बिहार राज्य (2) झारखंड राज्य (3) ओडिशा राज्य (4) पश्चिम बंगाल राज्य (5) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
11.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुबंई न्याय पीठ	6ठा तल, फाउंटेन टेलीकाम बिल्डिंग नं. सेंट्रल टेलीग्राफ के पास, एमजी रोड मुबंई—400001	(1) छत्तीसगढ़ राज्य (2) गोवा राज्य (3) महाराष्ट्र राज्य

*****

सत्यमेव जयते

नागरिक/ग्राहक चार्टर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

आपके लिए हमारी प्रतिबद्धता

क्र. सं.	हमारी सेवाएं/ कार्य सम्पादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
1.	नई कंपनियों के लिए नामों की उपलब्धता	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
2.	किसी कंपनी का निगमन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन की सूचना देने तथा निगमन प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
3	गैर पंजीकृत कंपनी का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण–प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
4	भारत के बाहर निगमित कंपनी द्वारा भारत में व्यापार स्थल का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस

क्र. सं.	हमारी सेवाएं / कार्य सम्पादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
5.	कंपनी के नाम में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
6.	कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
7.	निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
8	असीमित कंपनी का सीमित कंपनी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
9	आईपीओ या एफपीओ को जारी करने से पूर्व विवरणिका का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पावती जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
10	प्रभार सृजन / संशोधन / संतुष्टि का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस

क्र. सं.	हमारी सेवाएं / कार्य सम्पादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
11.	प्रभार सृजन / संशोधन / संतुष्टि दाखिल करने में हुई देरी के लिए माफी	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने और पूछताछ करने और स्पष्टीकरण में लगने वाला अधिकतम समय	20 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित प्रादेशिक निदेशक द्वारा माफी संबंधी आदेश जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	10 कार्य दिवस
12.	वार्षिक सामान्य बैठक कराने की समय–सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	5 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
13	न्यायालय या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक के आदेश का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत पूरे किये गए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को लाइसेंस जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
14	किसी कंपनी के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	4 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत पूरे किये गए आवेदन की प्राप्ति पर दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
15	निदेशक पहचान संख्या (डिन) जारी करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर (डिन) की मंजूरी देने वाला अनुमोदन पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस

क्र. सं.	हमारी सेवाएं / कार्य सम्पादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
16	डिन ब्यौरों में बदलाव	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर (डिन) के बदलाव के लिए पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
17	कंपनी का एलएलपी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
18	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	45 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के बदलाव की पुष्टि करने वाले आदेश को जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
19	एक ही राज्य के भीतर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक कंपनी रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में स्थानांतरित करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	45 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के बदलाव की पुष्टि करने वाले आदेश को जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
20	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस जारी करने का अनुदान	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	5 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को लाईसेंस देने के लिए लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस

क्र. सं.	हमारी सेवाएं / कार्य सम्पादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
21	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति और पारिश्रमिक का भुगतान या पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी या अधिक भुगतान की गई पारिश्रमिक की वसूली में छूट	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
		सभी प्रकार से पूरे किए गए आवेदन की प्राप्ति पर अनुमोदन सूचित करने के लिए लगने वाला अधिकतम समय	30 कार्य दिवस
22	निवेशक शिकायत निवारण / सीपीजीआरएएमएस	शिकायत की तारीख की प्राप्ति से निपटान करने में लगने वाला अधिकतम समय	30 कार्य दिवस
23	एमसीए 21 संबंधी अन्य शिकायतें	शिकायत की तारीख की प्राप्ति से निपटान करने में लगने वाला अधिकतम समय	30 कार्य दिवस
24	धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी के रूप में कंपनी की स्थिति की मांग करने के लिए आवेदन	प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
25	धारा 455 के तहत सक्रिय कंपनी के रूप में कंपनी की स्थिति की मांग करने के लिए आवेदन	प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
26	प्राप्त कर्ता / प्रबंधक की नियुक्ति के बारे में सूचना का पंजीकरण	प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
	(धारा 84(1))	प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस

क्र. सं.	हमारी सेवाएं / कार्य सम्पादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
27	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460 के तहत विलम्ब के लिए माफी	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
		सीजी द्वारा अनुमोदन जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	30 कार्य दिवस

*****

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

पांचवी मंजिल, ए विंग, शास्त्री भवन, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110001

फोनः 011–23073017, 23384660, 23385285

ई–मेलः hq.delhi@mca.gov.in

कॉरपोरेट सेवा केन्द्रः फोनः 0124–4832500

ई–मेलः appl.helpdeskk@mca.gov.in

मुद्रक: कमल प्रिन्टर्स, फोन: 9810622339, 9810576865